

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****O.A. No. 1040 of 2024****IN THE MATTER OF:****SURENDER & ORS.****.....APPLICANT****VERSUS****STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS****.....RESPONDENT(s)****INDEX**

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 18.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 06.04.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 18.04.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2.	

4.	COPY OF THE ORDER DT. 20.02.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3.	
4.	COPY OF THE REPORT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-4.	
5.	COPY OF THE INSPECTION REPORT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-5	
6.	COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 04.12.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-6.	
7.	COPY OF THE H-2 CASE AND NOTICE DT. 18.04.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-7.	
8.	COPY OF THE REPORT DT. 12.04.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-8.	
9.	COPY OF THE GPS-TAGGED PHOTOGRAPHS OF NIGHT PATROLLING ARE ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-9.	
10.	COPIES OF THE E-3 RECIEPTS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-10.	

THROUGH COUNSEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bhanwar Pal Singh Jadon', with a large circular flourish around the first few letters and a long horizontal stroke extending to the right.

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 28.04.2025

PLACE: LUCKNOW

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 1040 of 2024



IN THE MATTER OF:

SURENDER & ORS. APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS..... RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE
OF THE ORDER DT. 18.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI



I, Sushant Sharma aged about 54 years S/o Late Hari Chand, presently posted as Secretary, Environment and Forest, Uttar Pradesh, do hereby solemnly, affirm and state on oath as under:

- 1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.



2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
3. That in the present matter, the applicants have made allegations in their letter petition regarding the illegal sand mining in the Kaimur Wildlife Sanctuary area.
4. That the above captioned matter was last listed for hearing on 18.03.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

".....12. Respondent No. 1-Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh is directed to file additional affidavit containing detailed information with respect to complaints made to the Forest Officers, Administrative Officers, District Mining Officers and Police regarding illegal mining in forest area/river bed/stream and action taken on the same. Additional affidavit be filed by respondent no.1 within four weeks....."
5. That in compliance of the aforementioned order, Divisional Forest Officer, Kaimur Wildlife Division, Mirzapur vide letter dt. 06.04.2025, had requested the District Magistrate, Sonbhadra; Superintendent of Police, Sonbhadra; and Senior Mining Officer, Sonbhadra to provide their reports with respect to the actions taken in the present matter.



A Copy of the letter dt. 06.04.2025 has been annexed herewith as
ANNEXURE A-1.

A. REPORT OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SONBHADRA


6. That it is pertinent to submit that the District Magistrate, Sonbhadra vide letter dt. 18.04.2025 has provided with his report.

A Copy of the letter dt. 18.04.2025 has been annexed herewith as
ANNEXURE A-2

7. That the said report states as under:

I. With respect to M/s New India Minerals i.e Respondent No. 5:

- (i) That a five-year mining lease for *morum* (riverbed sand/aggregate) was sanctioned via e-tender cum e-auction system for Plot No. 824Kha (Khand-3), having area of 16.194 hectares, located at Village Agorikhas, Tehsil – Obra, District – Sonbhadra, in favour of M/s New India Minerals i.e. Respondent No. 5, for the period starting from 13.12.2021 to 12.12.2026.
- (ii) That a case bearing O.A. No. 818/2022, *Sandal Parveen vs. Union of India & Others*, was filed before this Hon'ble Tribunal, against the aforementioned mining lease. That in the said case, this Hon'ble Tribunal vide order dt. 20.02.2023 directed as follows:



"14. In these circumstances, we issue notice to both Project Proponents, namely, M/s Sudhakar Pandey and Associates and M/s New India Minerals. A copy of the report shall be supplied to them, permitting them to file their response and objections, if any, within 10 days.

15. Shri Vishwajeet Singh, Advocate, assisted by Sharad Chouhan, Advocate, appeared and stated that they received instructions for both Project Proponents only yesterday. They may be provided a copy of the proceedings to enable them to file their replies. If they file their Vakalatnama in the Registry by tomorrow, the Registry shall provide the documents, and service on both Project Proponents shall be deemed sufficient.

16. In view of the findings in the report indicating blatant and gross violations, and the deleterious effects on the environment, particularly affecting rivers, we find it appropriate that both Project Proponents shall not be allowed to continue mining activities. Hence, we restrain them from continuing mining activities until further orders."

A Copy of the order dt. 20.02.2023 has been annexed herewith as

ANNEXURE A-3.




- It was found on-site that illegal mining and transportation of morrum was taking place using a suction machine outside the approved area, beyond the alignment line of Geo-coordinate Pillars B and K. The illegal activities were verified using hand-held GPS devices and measuring tape.
- From an irregularly shaped area of 275 square meters, morrum had been illegally excavated to an average depth of 1.00 meter and is transported which is a total of 275.00 cubic meters. Additionally, outside the alignment line connecting Pillars A and B, to the north, beyond the approved area, morrum was excavated and transported from an irregularly shaped area of 175 square meters at an average depth of 1.50 meters, totaling 262.50 cubic meters. Hence, the total volume of illegally excavated and transported morrum was $(275+262.50)$ i.e. 537.50 cubic meters.
- Accordingly, a show-cause notice dt. 05.11.2022 was issued to Shri Chandra Shekhar Chaurasia. That due to the non-payment of the required amount in response to the notice, the Mining Department levied a penalty of Rs. 11,83,750/- vide letter dated 31.12.2022. That Respondent No. 6 has deposited the imposed



- (iii) That in compliance of the aforementioned order, the District Magistrate vide letter dt. 21.02.2023, restricted the mining and transportation operations at the said area.

II. With respect to Mr. Chandra Shekhar Chaurasia i.e. Respondent No. 6

- (i) That a five-year mining lease through e-tender cum e-auction system for morrum (sand-based minor mineral) for the area of Plot No. 8240 (Khand -1), measuring 16.194 hectares, situated at village Agorikhas, Tehsil Obra, District Sonbhadra was granted in favor of Shri Chandra Shekhar Chaurasia i.e. Respondent No. 6, for a period starting from 06.05.2022 to 05.05.2027.
- (ii) That a site inspection of the lease area was conducted by the mining inspector on 05.11.2022 in the presence of the leaseholder's representative, Shri Ravikant Rai. That the inspection report dated 05.11.2022 states as under:
- That the leaseholder had constructed a transportation route for the minor minerals from the riverbed, approximately 300 meters to the north of Geo-coordinate Pillars A and B, whereas such a route should ordinarily be within the lease area itself.




amount of Rs.11,83,750/- vide challan no. AKV230009602 dated 20.02.2023.

(iii) That this Hon'ble Tribunal vide order dt. 19.05.2023, directed as under:

"(iii) A Joint Committee comprising representatives of Ministry of Environment and Forest of State of UP, UPPCB, SELAA UP and District Magistrate, Sonbhadra is constituted to re-visit all mining leases granted for mining activities in Son river bed for carrying out mining activities in District Sonbhadra which are degrading/damaging river stream itself and/or the protected animals like Ghadiyal, turtles/tortoise etc. and take appropriate decision/action in accordance with law within three months.

(iv) Till a decision pursuant to direction (iii) is taken, no further mining in Son river bed in District Sonbhadra shall be allowed. District Magistrate, Sonbhadra and UPPCB shall ensure compliance of this direction."

(iv) That in compliance of the aforementioned order, the District Magistrate, Sonbhadra vide letter dt. 20.05.2023, prohibited mining and transportation under the mining lease until further orders.




- (v) That it pertinent to mention that the Respondent No. 6 filed a *Civil Appeal Diary No. 22080/2023 titled Chandra Shekhar Chaurasia vs. Union of India & Others* before the Hon'ble Supreme Court, New Delhi, wherein the Hon'ble Supreme Court vide order dated 26.06.2023 passed as under:

"Permission to file appeal(s) is granted.

Issue notice to the respondents, returnable in six weeks. Until the next date of hearing on reopening of the Courts after summer vacation, 2023, the operation of the impugned order shall remain stayed so far as the directions contained in Para 262(ii), (iii), and (iv) of the impugned order are concerned qua the petitioners."

In compliance with the said order dated 26.06.2023 passed by the Hon'ble Supreme Court, this office, via Order No. 650/Minerals/2023 dated 27.05.2023 (Annexure-3), granted permission for mining and transportation under the mining lease."

- (vi) That in compliance with the aforementioned order dated 26.06.2023 passed by the Hon'ble Supreme Court, the District Magistrate, Sonbhadra, vide letter dt. 27.05.2023, granted permission for mining and transportation at the said site.



B. REPORT OF SUPERINTENDENT OF POLICE, SONBHADRA

8. That it is germane to mention that the Superintendent of Police, Sonbhadra, vide letter dt. 22.04.2025, provided his report to the Deponent.

A Copy of the report has been annexed herewith as ANNEXURE A-4.


9. That the said report states as under:

(i) That the complaint regarding the illegal mining by unknown persons were obtained by D.C.R.B., Complaint Cell, Police Station-Obra, Chopan, and Police Station-Jugail.

(ii) That a report dt. 21.04.2025 was submitted by the Station House Officer, Police Station-Jugail. That vide the said report, it has been informed that complaints were received from the Respondent No. 6 and unknown persons on several dates.

(iii) That subsequently, the following actions were taken by the SHO, Police Station- Jugail:

- On 02.02.2024, a tractor bearing number UP 64AH-1367 with a trolley loaded with illegal sand was seized under Sections 3/181, 192, 196, 207 of the M.V. Act (G.D. No. 29, dated 02.02.2024, at 10:05 AM), and a report was sent to the Mining Department.




- On 05.02.2024, one tractor with trolley loaded with illegal sand (Chassis No. T054004146JL, Engine No. E-2611056) was seized under the same sections (G.D. No. 25, dated 05.02.2024, at 11:15 AM), and a report was sent separately to the Mining Department.
- On 06.04.2024, one unnumbered tractor-trolley loaded with illegal sand (Chassis No. MBNAACHAJAKMRM 08604, Engine No. RMM 2KBA0712) was seized (G.D. No. 21, dated 06.04.2024, at 08:30 AM) under the same sections, and a report was sent to the Mining Department.
- On 08.06.2024, two tractors with trolleys loaded with illegal sand (Chassis No. 920913122601, Engine No. E-749732 and Chassis No. MZOSG 716877 SM, Engine No. 3100DL8313709350F3) were seized under the same provisions (G.D. No. 11, dated 08.06.2024, at 07:20 AM), and reports were sent to the concerned departments.
- On 24.12.2024, a tipper loaded with illegally mined sand/morrum (Vehicle No. UP 64 AT 0883) along with the



driver Katwaru Kol, son of Lalji Kol, resident of Agori Khas, Tola Bijaura, Police Station-Jugail, District Sonbhadra, was arrested and FIR No. 119/2024 was registered under Sections 303(2), 317(2), 3(5) of the BNS, and Rules 3(1), 58, 72(6) of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021, and Sections 4 & 21 of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, and Section 3 of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984, against Laxman Yadav, resident of Agori Khas, Tola Bijaura, Police Station-Jugail, District Sonbhadra. During investigation, three more accused—3. Ramsurat alias Lallu Yadav, 4. Manoj Yadav (sons of Laxman Yadav), and 5. Rampratap Yadav (son of Shvimuni Yadav), all residents of Village Agori Khas, Tola Bijaura, Police Station-Jugail, District Sonbhadra—were identified. After investigation, finding the allegations to be proven, a Charge Sheet No. A-28/2025 dated 17.04.2025 was filed against the accused persons.

- (iv) That strict orders and directions were issued by the Superintendent of Police, Sonbhadra, on 16.09.2024 and 04.12.2024 to all Additional Superintendents of Police / all Circle Officers / Station House Officers / In-charges of Police Stations / In-charge of Traffic and Dial-112 in the district, instructing that no illegal mining should





take place in forest areas/riverbeds/streams and to maintain strict vigilance and special monitoring over the same. Additionally, every Wednesday, monitoring instructions are given by me via Google Meet regarding the above issue. That upon the complaints made by Respondent No. 6 to the police, Police Station-Jugail took action as detailed above, and FIRs were registered against some individuals, followed by further action.

C. REPORT OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER, KAIMUR
WILDLIFE DIVISION, MIRZAPUR

• **Report regarding Kargara River Forest Area:**


- a. That in compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court in the Civil Appeal No. 4005/2023 – Chandrashekhar Chaurasia vs Union of India & Others and connected matters, a site inspection was conducted by the Wildlife Warden, Range Forest Officer, and other regional forest officers on 29.02.2024.

A Copy of the inspection report has been annexed herewith as ANNEXURE A-5.



- b. During the inspection, no evidence of illegal mining using poclairn or other machinery was found. Additionally, there was no evidence of mining being carried out beyond the allotted lease area of 16.194 hectares.
- c. Similarly, a mining lease has been granted in favor of M/s Veera Construction in Bhagwa, Tehsil Obra, District Sonbhadra. Here too, no evidence of mining with poclairn or other heavy machinery was found during the inspection. There was also no evidence of mining beyond the allotted area of 14.980 hectares.
- d. That in compliance of the order dt. 30.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter, a Joint inspection team comprising of the Forest Department, Revenue Department, and Mining Department conducted demarcation of the questioned mining site on 04.12.2024 i.e. Khand-1 (area 16.194 hectares) and Khand-3 (area 16.194 hectares) within the Kargara River Forest Area. No mining activity was found within the river forest boundary or within a distance of 100 meters from it. Furthermore, mining work in Khand-3 was found to be stopped.

Copy of the inspection report dt. 04.12.2024 has been annexed herewith as ANNEXURE A-6.



e. That it is pertinent to mention that that on 06.03.2025 at around 4:00 PM, during regular patrolling by regional forest officers, illegal sand mining was found to have been carried out by Respondent No. 6 within the river forest area. As a result, departmental action was initiated, and an H-2 case was registered against Respondent No. 6 and a notice dt. 18.04.2025 has been issued to the Respondent No. 6 by the investigating officer That the investigation with respect to the aforementioned case is currently underway.

A Copy of the H-2 Case and the notice dt. 18.04.2025 has been annexed herewith as ANNEXURE A-7.

f. That furthermore, the recent inspection of the abovementioned sites in question was conducted by the Wildlife Warden Churk, Range Forest Officer Gurma, and Section In-charge on 12.04.2025. That no mining activity was found within the river forest boundary or within 100 meters from it. That mining in Khand-3 was still found to be closed.

A Copy of the report dt. 12.04.2025 has been annexed herewith as ANNEXURE A-8.

- Report Regarding the Shilpi River Area:




- (i) That it is most respectfully submitted that the Shilpi River area falls under the jurisdiction of the Kaimur Wildlife Division. That no lease has been granted for sand mining in this area. That regular patrolling is conducted to control illegal sand extraction in the said area. That upon receiving complaints of illegal sand mining/lifting through various sources, investigations are conducted and legal action is taken as per the rules.

Copies of GPS-tagged photographs of night patrols are annexed herewith as ANNEXURE A-9.

- (ii) That occasionally, local villagers extract sand from the said restricted area to meet their personal needs, upon which legal action is taken by the Forest Department according to the rules. That various range cases against the violators have been filed, and some of the said cases were settled upon deposition of the penalties levied and some cases are currently under investigation, and charge sheets have been submitted before the lower courts in certain cases.

Copies of the E-3 receipts have been annexed herewith as ANNEXURE A-10.



10. That the deponent is committed to ensuring environmental compliance and is actively coordinating with all concerned departments to address the issues raised in this Hon'ble Tribunal.

11. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

12. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ^{NOTARY} Lucknow on this ^{NOTARY} 27 day of April, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn and Verified before me
17/4/25
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 6043/11



DEPONENT

I know & identify the deponent/Executio who has signed/ put his T.E. before me
S.J. + qba: Advocate
Reg No. 6043/1999
Adv 26

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, गीरजापुर।
पत्र संख्या-3444/10-1दिनांक, गीरजापुर, अप्रैल 06, 2025.

सेवा में,

- 1-जिलाधिकारी
सोनभद्र।
- 2-पुलिस अधीक्षक
सोनभद्र।
- 3-ज्येष्ठ स्थान अधिकारी
सोनभद्र।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1040/2024 सुरेन्द्र व अन्य वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक-18.03.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: श्री सुशांत शर्मा सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 का पत्रांक-एन.जी.टी.-276/81-7-2025-1908784 दिनांक-3.04.2025

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1040/2024 सुरेन्द्र व अन्य वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-18.03.2025 (छाया प्रति संलग्न) का मुख्य अंश निम्नवत है:-

“Respondent No. 1-Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh is directed to file additional affidavit containing detailed information with respect to complaints made to the Forest Officers, Administrative Officers, District Mining Officers and Police regarding illegal mining in forest area/river bed/stream and action taken on the same. Additional affidavit be filed by respondent.no.1 within four weeks.”


उक्त आदेश के क्रम में श्री सुशांत शर्मा सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के पत्रांक-एन.जी.टी.-276/81-7-2025-1908784 दिनांक-3.04.2025 द्वारा वन क्षेत्र/नदी तल/धारा में अवैध खनन के सम्बन्ध में वन अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जिला खनन अधिकारियों और पुलिस को की गई शिकायतों और उस पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सहित आवश्यक सूचना उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है।

मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा सचिव महोदय उ0प्र0 शासन को चार सप्ताह के भीतर Additional affidavit दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है। वाद में अगली तिथि 29.04.2025 नियत है।

उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि मा0 न्यायालय के उक्त आदेश का संज्ञान लेकर मा0 न्यायालय के आदेशानुसार कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि इस स्तर से सूचना को समायोजित कर Additional affidavit का आलेख समयान्तर्गत शासन को प्रेषित किया जा सके, जिससे कि उनके स्तर से Additional affidavit ससमय मा0 न्यायालय में दाखिल कराया जा सके। प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण एवं मा0 न्यायालय के आदेश से आच्छादित है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, गीरजापुर।


संख्या 3414 / 10-1 समदिनांक

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार चुरक-सोनमद्र एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी गुर्मा रेज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप जिलाधिकारी सोनमद्र, पुलिस अधीक्षक सोनमद्र एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनमद्र से सम्पर्क स्थापित कर मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 की अनुपालन आख्या प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा० एन०जी०टी० से आच्छादित है, आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।



(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रमण्डल/मिर्जापुर।

प्रेषक

जिलाधिकारी
सी.मि.द।

रीज में

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैंगूर वन्य जीव वन प्रभाग,
भीरजापुर।

पत्रांक

खोज/2025

दिनांक 18.03.2025

विषय -

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1040/2024 सुरेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 18.03.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3414/10-1 दिनांक भीरजापुर अप्रैल 06, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1040/2024 सुरेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

ओ0ए0 संख्या-1040/2024 सुरेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

3. *Vide order dated 07.11.2024, this Tribunal constituted a Joint Committee which submitted its report dated 11.12.2024.*
4. *In its report, the Joint Committee had referred to the mining leases in favour of Respondents No. 5- M/s New India Minerals Ventures Pvt. Ltd. and Respondent No. 6- Mr. Chandra Shekhar Chaurasiya and also recorded its observations and recommendations.*
5. *In its report the Joint Committee mentioned that during visit, no mining in forest land was observed but this observation by the Joint Committee is very conditional and narrow in its scope as the same confined to the time of the visit and no efforts were made for drone mapping of the area to find out whether any illegal mining has taken place.*
6. *In the course of hearing responses have been filed by respondents no. 1 to 6.*
7. *Mining is being carried out by respondent no. 6 while mining by respondent no. 5 continues to be stayed under orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India.*
8. *Respondent no. 6 has claimed requisite compliance with the EC/CTO conditions and also with the recommendations made by the Joint Committee.*
9. *In the course of hearing, we have noted that in its report, the Joint Committee had referred to satellite image reproduced on page 11 of its report and mentioned in para 9 that as per satellite image dated 23.04.2024 mining activity was observed near the lease area in the river stream.*
10. *In its reply, Respondent No. 6 has claimed that complaints dated 28.12.2023 and 01.05.2024 were made by respondent no. 6 to the police regarding illegal mining by some unknown persons. 11. In the letter petition, the applicant has also claimed that no action was taken by the police on complaints regarding mining in the forest area.*
12. *Respondent No. 1-Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh is directed to file additional affidavit containing detailed information with respect to*

(2)

complaints made to the Forest Officers, Administrative Officers, District Mining Officers and Police regarding illegal mining in forest area/river bed/stream and action taken on the same. Additional affidavit be filed by respondent no. 1 within four weeks "

उक्त के सम्बन्ध में क्रमशः अबगत करना है कि

1. जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखारा के आराजी सख्या-824ख (खण्ड-3) रकबा-16.194 हे० क्षेत्र पर ई-निविदा राह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से मोरम का 05 वषीय खनन पट्टा में न्यू इण्डिया मिनरल्स, पता-28 ब्रह्म पुरी कालोनी, जुगौली क्रॉसिंग, फँजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा-श्री सुरेन्द्र तिवारी पुत्र श्री आत्माराम तिवारी निवासी 190, गोविन्दपुर, गनेशपुर अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के पक्ष में दिनांक 13.12.2021 से दिनांक 12.12.2028 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

प्रसंगत खनन पट्टे के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के सम्पद अं० १०१० नं०-818/2022 संदल परवीन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य योजित हुई, जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"14. In these circumstances, we issue notice to both Project Proponents, namely, M/s Sudhakar Pandey and Associates and M/s New India Minerals. A copy of report shall also be supplied to them permitting them to file their response and objections, if any, to the report within 10 days from today.

15. Shri Vishwajeet Singh, Advocate assisted by Sharad Chouhan, Advocate has appeared and stated that they have received instructions on behalf of both Project Proponents only yesterday and they may be given copy of the proceedings to enable them to file their replies. In case they file their Vakalatnama in registry by tomorrow, Registry may supply documents to learned Counsel and thereupon service on both project proponents shall be deemed sufficient.

16. Looking to findings recorded in the report indicating blatant and gross violations and as well as having deleterious effects on environment and particularly affecting rivers, we find it appropriate that both Project Proponents should not be allowed to continue with mining activities. Hence we restrain them from underpinning with mining activities until further orders."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन में न्यू इण्डिया मिनरल्स, पता-28 ब्रह्म पुरी कालोनी, जुगौली क्रॉसिंग, फँजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा-श्री सुरेन्द्र तिवारी पुत्र श्री आत्माराम तिवारी निवासी 190, गोविन्दपुर, गनेशपुर अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में इस कार्यालय के आदेश संख्या-4070/खनिज/2023 दिनांक 21.02.2023 (संलग्नक-1) द्वारा खनन एवं परिवहन को प्रतिबन्धित है।

2. जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखारा के आराजी सख्या-824ख (खण्ड-1) रकबा-16.194 हे० क्षेत्र पर ई-निविदा राह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से मोरम का

(1)

05 वर्षीय खनन पत्रों की शर्त श्रेष्ठ चौरसिया पत्र रू० दीनदयाल चौरसिया निवासी ५०-५०-५५, पेशवातण्ड विद्या अरस्तु अपार्टमेंट, निगर रिजन्स कॉलेज इयागला हिल्स, भीमाल, (म० प्र०) के पत्र में दिनांक 08.05.2022 से दिनांक 05.05.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत एवं संचालित है।

परमगत खनन पत्रों की जीएम खान निरीक्षक द्वारा पट्टाधारक के प्रतिनिधि श्री सचिदान्त राय की उपस्थिति में दिनांक 05.11.2022 को किया गया। खान निरीक्षक की जीएम अख्ता दिनांक 05.11.2022 में ज्ञात/निर्दिष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा पट्टा क्षेत्र के यू-निर्देशांक पीलर A व B के उत्तर दिशा की तरफ 300 मीटर दूर से उप खनिजों का परिवहन हेतु नदी तल में निकासी मार्ग बनाया गया है। जबकि सामान्यतः पट्टाधारक को परिवहन मार्ग अपने पट्टा क्षेत्र के अन्दर ही नदी तल में बनाया जाना चाहिए। मीके पर पट्टा क्षेत्र के यू-निर्देशांक पीलर B व C के मिलान रेखा के बाहर की तरफ अर्थात् स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नदी तल में 01 सक्वान मशीन लगाकर मोरम का अवैध खनन एवं परिवहन किया जाना पाया गया। अवैध खनन एवं परिवहन कार्य हेण्ड-हेल्ड जी०पी०एस० मशीन तथा मापन टेप की सहायता से किया गया। मीके पर 275 वर्ग मीटर के अनियमित आकार के क्षेत्र से औसत 1.00 मीटर की गहराई से कुल 275.00 घन मी० मोरम का अवैध खनन एवं परिवहन किया जाना पाया गया तथा यू-निर्देशांक पीलर A व B के मिलान रेखा से बाहर उत्तर दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर मोरम पर 175 घन मी० के अनियमित आकार के औसत 1.50 मीटर की गहराई से कुल 262.50 घन मी० अर्थात् कुल 537.50 घन मी० मोरम का अवैध खनन एवं परिवहन किया जाना पाया गया।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2584/खनिज/2022 दिनांक 05.11.2022 द्वारा श्री चन्द्र श्रेष्ठ चौरसिया को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के क्रम में दायित्व घनराशि जमा न किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश संख्या-3373/खनिज/2022 दिनांक 31.12.2022 पट्टाधारक पर रू० 11,83,750/- अधिरोपित की गयी। पट्टाधारक द्वारा अधिरोपित घनराशि रू० 11,83,750/- घालान संख्या-AKV230009602 दिनांक 20.02.2023 द्वारा जमा कर दी गयी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उक्त ओ०ए० संख्या-818/2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"262(iii) A Joint Committee comprising representatives of Ministry of Environment and Forest of State of UP, UPPCB, SEIAA UP and District Magistrate, Sonbhadra is constituted to re-visit all mining leases granted for mining activities in Son river bed for carrying out mining activities in District Sonbhadra which are degrading/damaging river stream itself and/or the protected animals like ghadyal, turtles/tortoise etc. and take appropriate decision/action in accordance with law within three months.

(iv) Till a decision pursuant to direction (iii) is taken, no further mining in Son river bed in District Sonbhadra shall be allowed. District Magistrate, Sonbhadra and UPPCB shall ensure compliance of this direction."

(4)

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या-670/खनिज/2023 दिनांक 20.05.2023 (संलग्नक-2) द्वारा अग्रिम आदेश तक खनन पट्टे में खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित कर दिया गया।

उक्त आदेश दिनांक 20.05.2023 के विरुद्ध पट्टाधारक द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सम्मक्ष सिविल अपील जायरी नं०-22080/2023 चन्द्र शेखर धीरसिया बनाम यूनिजन आफ इण्डिया व अन्य की गयी, जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2023 निम्नवत् है:-

Permission to file appeal (s) is granted.

Issue notice to the respondents, returnable in six weeks. Until the next date of hearing on reopening of the Courts after summer vacation, 2023, the operation of the impugned order shall remain stayed so far as the directions contained in Para 262(ii), (iii) and (iv) of the impugned order are concerned qua the petitioners.

मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.06.2023 के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या-650/खनिज/2023 दिनांक 27.05.2023 (संलग्नक-3) द्वारा खनन पट्टे में खनन एवं परिवहन की अनुमति प्रदान की गयी।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनमद्र।

पर्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(जनिज अगुणाग)

पत्रांक 4020/सनिज/2023

दिनांक 21/02/2023


आदेश

जनपद सोनभद्र को राहरीस-ओबरा रिधा ग्राम-अगोरीखारा के आराजी संख्या-824ख (खण्ड-3) खाना-18.194 हे० क्षेत्र पर नदी तल रिधा गोरग का 05 वर्षीय खनन पट्टा 10 न्यू इण्डिया मिनरल्स, द्वारा-श्री सुरेन्द्र तियारी पुत्र श्री आत्माराम तियारी निवासी 190, गोविन्दपुर, गनेशपुर अकबरपुर, जनपद-अग्नेडकरनगर के पक्ष में दिनांक 13.12.2021 से दिनांक 12.12.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत एवं संचालित है।

ओ०ए० नं०-818/2022 संदल परवीन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन०जी०टी०) के आदेश दिनांक 20.02.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

14. In these circumstances, we issue notice to both Project Proponents, namely, M/s Sudhakar Pandey and Associates and M/s New India Minerals. A copy of report shall also be supplied to them permitting them to file their response and objections, if any, to the report within 10 days from today.
15. Shri Vishwajeet Singh, Advocate assisted by Sharad Chouhan, Advocate has appeared and stated that they have received instructions on behalf of both Project Proponents only yesterday and they may be given copy of the proceedings to enable them to file their replies. In case they file their Vakalatnama in registry by tomorrow, Registry may supply documents to learned Counsel and thereupon service on both project proponents shall be deemed sufficient.
16. Looking to findings recorded in the report indicating blatant and gross violations and as well as having deleterious effects on environment and particularly affecting rivers, we find it inappropriate that both Project Proponents should not be allowed to continue with mining activities. Hence we restrain them from undertaking with mining activities until further orders."

अतः मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेश तक खनन एवं परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया जाता है।


जिलाधिकारी।
सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्मा अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. उ० जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र।
4. ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र।
5. थागाध्यक्ष, थाना-जुगील।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. 10 न्यू इण्डिया मिनरल्स, द्वारा-श्री सुरेन्द्र तियारी पुत्र श्री आत्माराम तियारी निवासी 190, गोविन्दपुर, गनेशपुर, अकबरपुर, जनपद-अग्नेडकरनगर।


जिलाधिकारी।
सोनभद्र।

राम कृष्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनमद।
(खनिज भण्डारण)

पत्रांक 570 /सनिज/2023

दिनांक 20/05/2023

श्री चन्द्र शेखर धीरशिया पुत्र १५० बीगब्यास धीरशिया
निवासी गोनो-७ए, पेशगाउण्ड विला अंराल अपार्टमेंट,
नियर रिजनल कॉलेज इयागला थिला,
भोपाल (मध्य प्रदेश)।

आदेश


आपके पक्ष में जनपद-सोनमद के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखास के आराजी संख्या-824ख (खण्ड-1) रकबा-16.194 हे० क्षेत्र पर सोन नदी तल स्थित मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 05.05.2022 से दिनांक 05.05.2027 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No.-818/2022 (L.A. No. 74/2023) SUO MOTU ACTION IN ILLEGAL MINING FOR EXCAVATION OF MORRUM AT ARAJI NO. 824 KHA (KHAND 3 AND 4) IN AREA 16.194 AND 12368 HECTARES, RESPECTIVELY AT VILLAGE AGORI KHAS, TEHSIL OBRA, DISTRICT SONBHADRA बनाम Union of India through Joint Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India व अन्य योजित हुई है। उक्त याचिका में पारित मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 19.05.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"262. (iii) A Joint Committee comprising representatives of Ministry of Environment and Forest of State of UP, UPPCB, SEIAA UP and District Magistrate, Sonbhadra is constituted to re-visit all mining leases granted for mining activities in Son river bed for carrying out mining activities in District Sonbhadra which are degrading/damaging river stream itself and/or the protected animals like ghadiyal, turtles/tortoise etc. and take appropriate decision/action in accordance with law within three months.

(iv) Till a decision pursuant to direction (iii) is taken, no further mining in Son river bed in District Sonbhadra shall be allowed. District Magistrate, Sonbhadra and UPPCB shall ensure compliance of this direction."

अतः मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.05.2023 के अनुपालन में अग्रिम आदेश तक आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है।


जिलाधिकारी,
सोनमद।

पत्रांक व तद दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. उय जिलाधिकारी, ओबरा, सोनमद।
4. ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनमद।
5. पुलिस क्षेत्राधिकारी, ओबरा।
6. धानाध्यक्ष, धाना-जुगैल, सोनमद।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद।


जिलाधिकारी,
सोनमद।

Item No. 04

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****(BY HYBRID MODE)**Original Application No. 818/2022
(I.A. No. 55/2023 & I.A. No. 56/2023 and IA No. 67/2023)

Sandal Parveen

Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 20.02.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**Applicant: Mr. Kausar Raza Faridi, Advocate with Ms. Sandal Parveen,
Applicant in Person

Respondent: Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Dhyani, Advocates for UPPCB

ORDER**I.A. No. 55/2023 & I.A. No. 56/2023**

1. Both these applications have been filed by applicant, Sandal Parveen through Shri Kausar Raza Faridi, Advocate. She is also present in court as identified by Shri Kausar Raza Faridi, Advocate.

2. IA No. 55/2023 has been filed with prayer that she may be permitted to withdraw this Original Application No. 818/2022. IA No. 56/2023 has been filed seeking permission to change her Counsel by discharging earlier Counsel and permitting Shri Kausar Raza Faridi, Advocate to appear on her behalf for pressing both these IAs.

3. It is stated in the IAs that on pursuance of some busy bodies, she filed this original application, or it will highlight her name and will be beneficial for her carrier.

4. Therefore, it is evident that for a professional adventure, it appears that this original application has been filed. This kind of the attitude and conduct is highly improper and we find it appropriate to deprecate this practice and attitude.

5. I.A. Nos. 55/2023 and 56/2023 are allowed to the extent that we permit applicant, Sandal Parveen to withdraw herself from this original application and not to be bothered to pursue this matter. However, having gone through the matter and considering earlier order dated 16.11.2022, we find that a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen and since issue is important relating to protection of environment, it would be appropriate in the present matter to convert this original application as suo motu action by this Tribunal and it shall be registered accordingly by changing the cause title name as "*Suo Motu Action in Illegal Mining for excavation of Morrums at No. 824 Kha (Khand 4) in area 12.368 hectare at Village Agori Khas, Tehsil Obra, District Sonbhadra vs. Union of India & Ors*".

IA No. 67/2023

6. In view of above order passed, no further order appears to be necessary in IA No. 67/2023 which stands disposed of.

Original Application No. 818/2022

7. Grievance in this application is against illegal mining for excavation of morrum at No. 824 kha (Khand 4) in area 12.368 hectare at Village

Agori Khas, Tehsil Obra, District Sonebhadra by M/s Sudhakar Pandey and Associates (PP-1), Civil Line Road, Tehsil Robertsganj, District Sonebhadra, U.P.

8. Further, illegal morrum mining is alleged at No. 824 kha (khand no. 3) in area 16.194 hectare at Village Agori Khas, Tehsil Obra, District Sonbhadra, by M/s New India Minerals (PP-2) Prop. Surendra Tiwari resident of 190 Govind Fur Ganeshpur, Akbarpur District Ambedkar Nagar U.P.

9. According to the applicant, mining is being done by PP-1 in violation of norms outside the allotted lease area at Village Mitapur on the forest land/wildlife forest habitat which is within buffer zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary. It is also endangering the flora fauna and vegetation alongwith wild animals such as Black Bucks, Sambhar, Snoth Bears, Wild Boars, Indian Fox, Jackals, Spotted Deer, Striped Hyena, Apes, Chinkara as well as number of water bodies including species of land and water birds reptilia such as Monitor Lizard, Pythons etc. The illegal miners have constructed illegal bridge of home pipes over the river Son blocking the free flow of river for transporting sand by trucks and also involved in illegal mining from the mid of river through machine boats by using heavy JCB and Poklanes for loading and damaging the public transportation road of Kargara Mitapur- Varanasi Shaktinagar Marg as well as State Highway 5A and cutting trees for making way which is contrary to the provisions of settled law.

10. Mining by PP2 is also illegal outside the allotted lease area on the forest land or wildlife forest area harming the wildlife and flora fauna and vegetation of the area. There is illegal use of machines such as JCB or Poklane and blocking the free flow of Son river. Illegal mining of Morrum

is outside the allotted lease area at Village Kargara on the forest land/wildlife forest habitat which is within buffer zone of Kaimoor wildlife Sanctuary. Due to continuing illegal mining outside the lease area, there is threat to the flora fauna and vegetation alongwith wild animals such as Black Bucks, Sambhar, Sloth Bears, Wild Boars, Indian Fox, Jackals, Spotted Deer, Striped Hyena, Apes, Chinkara as well as number of water bodies including species of land and water birds reptilia such as Monitor Lizard, Pythons etc. The PP has constructed illegal bridge of hume pipes over the river Son, blocking the free flow of river for transporting its sand by trucks. Illegal mining is also from the mid of river through machine boats by using heavy JCB and Poklanes, damaging the public transportation road of Kargara Mitapur- Varanasi Shaktinagar Marg as well as State Highway 5A and cutting trees for making way, contrary to the provisions of settled law. The Environmental Clearance /terms of references dated 1.12.2021 has been granted for morrum mining at araji no. 824 kha (khand 3), Village Agori Khas Tehsil Obra District Sonbhadra, U.P. in favour of M/s New India Minerals. Final Notification dated 20.3.2017 has been issued by MoEF&CC declaring eco sensitive zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary. The applicant gave representation listing the above grievance to the authorities in the State of UP but no action has been taken by the authorities.

11. Considering the above aspect, Tribunal vide order dated 16.11.2022 constituted a Joint Committee comprising Regional Officer, MoEF&CC, Lucknow (Chief Conservator of Forest), Member Secretary, UP State PCB and District Magistrate, Sonbhadra to submit a factual report.

12. Pursuant to said order, Joint Committee has submitted report dated 17.02.2023 filed on the same date. Report found guilty of violation of environmental laws two Proponents, namely, Respondent No. 14, M/s

Sudhakar Pandey and Associates (PP-1), Civil Line Road, Tehsil Robertsganj, District Sonbhadra, U.P. and Respondent No. 15 M/s New India Minerals (PP-2), Village Agori Khas, Tehsil Obra, District Sonbhadra. The findings in the report are as under:

"As per facts found in the field visit and documentary evidences available in the record, lease wise report is as follows:-

1. M/s Sudhakar Pandey and Associates R/o of Civil Line Road, Robertsganj, Sonbhadra for Morrum Mining at Arazi 824 Kha (Khand -04), Village- Aghori Khas, Teh.-Obra, District-Sonbhadra.

a) *The details of the above project & permissions obtained are as follows:*

- Sanctioned lease area 12.368 ha, in bench of River Sone
- Lease holder obtained Environmental clearance vide letter no. EC21B001UP144167-File No.-6748/6321 dated 22.12.2021 for sand/morrum mining in the lease area of 12.368 ha.
- Lease holder obtained consent to operate vide letter no. 148535/UPPCB/Sonbhadra (UPPCBRO)/CTO/water/Sonbhadra/2022 dated 25.01.2022, which is valid from 24.01.2022 to 31.12.2024 and 148529/UPPCB/ Sonbhadra (UPPCBRO)/CTO/air/Sonbhadra/2022 dated 25.01.2022, which is valid from 24.01.2022 to 31.12.2024 for 197,888 cubic meter/year mining of sand/morrum.

b) *Major observation:*

- *As per the specific condition of EC no. 1, it is clearly stated that "In absence of the replenishment study keeping in mind of various orders issued by Hon'ble NGT and the developmental work in the state, EC is granted for period of one year" i.e., up to 21.12.2022.*
- *SEIAA-UP vide MoM of 685th meeting held on dated 31.12.2022 extended the validity of EC for further one year. (MoM attached as Annexure B)*
- *Committee has been observed that the lease holder doing significant mining outside of the lease area (towards main stream of river), committee unable to visit the outside of the lease area (towards main stream of river), where mining is being conducted by lease holder, due to creation of heavy trench committee could not visit the illegal patch of the land, which seems be created by lease holder before visit of the committee.*
- *Significant mining outside of the lease area is also evident from the Google satellite image dated*

March, 2022. (Google satellite image attached as Annexure C)

- Satellite image also depicted that the area of mining outside of the lease is about 5.44 ha
- As mentioned above, illegal mining is being done by the lease holder in the main stream of the river (outside of the lease area), may certainly be change the course of river flow & its velocity and its quality, which is contradictory to EC General Condition no. 13.
- It has also been observed that the lease holder setup weight bridge, borewell, office outside of the lease area, etc.
- Boundary pillars is not properly erected on each corner of the lease.
- No plantation has been done so far.
- Sufficient evidences has been observed by committee, which shows that the lease holder are using various machine for river bed mining in lease and outside of the lease area.
- Lease holder has not made motorable approach road with both side plantation.
- It has also been observed that the mining activity is also going on the main stream of river Sone, i.e., outside of the lease area.
- Google satellite images taken on various time intervals clearly reflected that the illegal mining status beyond the lease area before start of mining and in between the mining.
- One borewell is found in running condition without statutory approvals.
- Depth of the pit seems more as specify in the EC.
- The weighing bridges have been installed by these mines and the data is transmitted into the server.

2. M/s New India Minerals Village- Aghori Khas, Teh.- Obra, District-Sonbhadra.

a) The details of the above project & permission obtained are as follows:

- Sanctioned lease area 16.194 ha, in bench of River Sone.
- Lease holder obtained Environmental clearance vide letter no. EC21B001UP196497-File No. 6257 dated 01.12.2021 for sand/morrum mining in the lease area of 12.368 ha.
- Lease holder obtained consent to operate vide letter no. 143269/UPPCB/Sonebhadra (UPPCBRO)/CTO/air/Sonebhadra/2021 dated 08.12.2021, which is valid from 08.12.2021 to 31.12.2022. And 143270/UPPCB/ Sonebhadra (UPPCBRO)/CTO/water/Sonebhadra/2021 dated 08.12.2021, which is valid from 08.12.2021 to 31.12.2022 for 259104 cubic meter/year mining of sand/morrum.

- Latest consent to operate (CTO) vide letter 170202/UPPCB/Sonebhadra (UPPCBRO)/CTO/both/Sonbhadra/2022 dated 13.01.2023, which is valid from 01.01.2023 to 31.12.2024 for mining of sand and morrum with 259104 cubic meter/year.

b) Major observation:

- As per the specific condition of EC no. 1, it is clearly stated that "In absence of the replenishment study keeping in mind of various orders issued by Hon'ble NGT and the developmental work in the state, EC is granted for period of one year".
- SEIAA-UP vide MoM of 685th meeting held on dated 31.12.2022 extended the validity of EC for further one year. **(MoM attached as Annexure B)**
- Committee has been observed that the lease holder doing significant mining outside of the lease area (towards main stream of river), committee unable to visit the outside of the lease area (towards main stream of river), where mining is being conducted by lease holder, due to creation of heavy trench committee could not went in that patch of land, which seems be created by lease holder before visit of the committee.
- Significant mining outside of the lease area is also evident from the Google satellite image taken of dated. **(Google satellite image attached as Annexure D)**
- Significant mining outside of the lease area is also evident from the Google satellite image dated March, 2022.
- Satellite image also depicted that the area of mining outside of the lease is about 4.72 ha towards main stream.
- As mentioned above, illegal mining is being done by the lease holder in the main stream of the river (outside of the lease area), may certainly be change the course of river flow & its velocity and its quality, which is contradictory to EC General Condition no. 13.
- Lease holder has also not made motorable approach road with both side planation in area.
- It has also been observed that the lease holder setup weight bridge, borewell, DG sets, office outside of the lease area, etc and it seems that the above facilities has been setup on the government land,
- Borewell is found in running condition without statutory approvals.
- The weighing bridges have been installed by these mines and the data is transmitted into the server.
- It has been found that the compliance of Environmental clearance condition and CTO condition are pathetic.

- None of the statutory permission (EC, CTO, production, compliance report, lease document, mining plane etc) available with the representative of lease holder.

3. Other observation

- At the time of inspection, it was found that the Kachha path constructed by the mines lease holders for transportation of the sand from the lease area has been disturbed by keeping overburdens on the road in a such a way that the Committee may not reach to the illegal mining lease site outside the co-ordinates of the lease area. However, the committee member tried to see the factual situation and accordingly it was visible that 03 mines pit are operational outside the lease boundary. The illegal mining area could not be measured; however, it is visible on the Google earth and Google satellite image is **attached as Annexure C, D & E**.
- As per Google earth images, there are three illegal pits visible near the mine of M/s Sudhakar Pandey and Associates, the area of these illegal pits is 5.44 ha. Similarly, three illegal pits of 4.72 Ha area have existed near the mine area of M/s New India Minerals.
- The illegal mining pits are located towards the center of the river course which can severely affect the river economy.
- Temporary bridge structure is also visible across the river course which can interrupt the flow of the river.
- It has been found that the compliance of Environmental clearance condition and CTO condition are pathetic in both the mining lease.

4. Environmental compensation (EC) imposed due to mining in outside of the lease and over production

- Committee vide letter no. G000081/OA No.818/2023 dated 28.01.2023 requested to Senior mining officer, Sonbhadra to provide various information including production details, any illegal mining reported to M/s New India mineral and M/s Sudhakar Pandey & associate of above mentioned lease. No reply has been received so far.
- As mentioned above both the lease holder doing significant mining in outside of their lease area (illegal mining), as the data of production is not available with committee, therefore, committee is in opinion to impose Environmental compensation (EC) based on the area covered under illegal mining as mentioned above.
- As per Google earth images, there are three illegal pits visible near the mine of M/s Sudhakar Pandey and Associates, the area of these illegal pits is 5.44 ha and three illegal pits of 4.72 Ha area have existed near the mine area of M/s New India Minerals. The depth of the pits couldn't be verified because the way of the pits were not approachable. As per environmental clearance of

SEIAA-UP granted to this project, the maximum depth of the pits shouldn't be more than 3 Meters. Hence, taking the average depth of 1.5 meter, the volume of extracted illegal sand can be calculated. Hence the volume of the sand shall be equal to area * depth.

- The depth of the illegal mining pits mentioned above is not measurable. And hence, the excavated quantity could not be estimated accurately. The EC calculated above is approximation. The accuracy can be verified by measuring the depth employing drone mapping or Google satellite mapping.
- As per CPCB guidelines, the environmental compensation has been calculated as follows :

Environmental Compensation charge (In Rs.) = D x (1+RF+DF) Where, D = Z x Market Value of the material per MT or m³

DF= 0.3, if Z/X=0.11 to 0.40

0.6, if Z/X=0.41 to 0.70

1, if Z/X>=0.71

RF=0.25, 0.50, 0.75, 1.00 as per risk level mentioned below:-

Risk Level	1	2	3	4
Risk Factor	0.25	0.50	0.75	1

- The details of Environmental Compensation/Charge are tabulated below:

S.N.	Lease holder	Environmental Compensation/charge (in Rs.)
1.	M/s Sudhakar Pandey and Associates Aghori Khas, Teh.-Obra, District-Sonbhadra (Lease area 12.36 ha)	Rs.8,16,00,000.00 (Rupees Eight Crores Sixteen lakhs Only)
2.	M/s New India Minerals Village-Aghori Khas, Teh.-Obra, District-Sonbhadra (Lease area 16.194 ha)	Rs.7,08,00,000.00 (Rupees Seven Crores Eight lakhs Only)

5. Recommendations:

- The amount collected under Environmental compensation by lease holder can be utilize for betterment of the local area including construction of motorable road with both side tree plantation, dragging of main course of River Sone and protection of Agroikahs kila.
- State mining department can be strengthen by drone survey/mapping tools, for controlling of illegal mining in the main stream of the River Sone etc in near future,
- State mining department can be strengthen by drone survey/mapping tools, for controlling of illegal mining in the main stream of the River Sone etc In near future,
- Production capacity of each mine in area in question can re-assess based on the replenishment study conducted by Mining Department.

- *It has come to noticed that the established weight bridge, DG sets, borewell, hutment cum office, of both the lease holder arc either in government land or other land, which need to be verify by local administration and initiate further legal action, if found false.*
- *For betterment of the compliance status in mining lease area regular monitoring can be ensure by local mining department, Regional office of UPPCB etc."*

13. Though we have directed by our order dated 16.11.2022 that the Committee shall put on notice identified violators and furnish a copy of report simultaneously while filing report before Tribunal but it appears that said report has not been supplied to said violators and nothing has been said in this regard in the report which itself has been filed in this Tribunal at 07:24 pm on 17.2.2023.

14. In these circumstances, we issue notice to both Project Proponents, namely, M/s Sudhakar Pandey and Associates and M/s New India Minerals. A copy of report shall also be supplied to them permitting them to file their response and objections, if any, to the report within 10 days from today.

15. Shri Vishwajeet Singh, Advocate assisted by Sharad Chouhan, Advocate has appeared and stated that they have received instructions on behalf of both Project Proponents only yesterday and they may be given copy of the proceedings to enable them to file their replies. In case they file their Vakalatnama in registry by tomorrow, Registry may supply documents to learned Counsel and thereupon service on both project proponents shall be deemed sufficient.

16. Looking to findings recorded in the report indicating blatant and gross violations and as well as having deleterious effects on environment and particularly effecting rivers, we find it appropriate that both Project Proponents should not be allowed to continue with mining activities.

Hence we restrain them from undergoing with mining activities until further orders. State PCB and District Magistrate, Sonbhadra shall ensure compliance of this order. We further observe that, once violations are clearcut and established, the regulators, State PCB should have taken actions rather waiting for directions of Tribunal. Matters before Tribunal do not restrain statutory authorities to not to act as per Acts and Rules. Inaction on the part of statutory regulator despite finding serious violations of environmental laws and norms is defiance of compliance of statutory duties and it also results in continuity of illegal activities on the part of violators on account of sheer illegal inaction on the part of statutory regulators. This situation has to be avoided and therefore statutory regulators whenever find such blatant violations on the part of any proponent, even if matter is pending before Tribunal, unless there is otherwise is an order, the statutory regulators must go ahead in discharge of their statutory functions and should restrain further continuance of violation of environmental laws and norms by such violator(s).

17. List for further consideration on 03.03.2023.

18. A copy of this order be forwarded to State PCB and District Magistrate, Sonbhadra by e-mail for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

February 20, 2023
Original Application No. 818/2022
(I.A. Nos. 55/2023, 56/2023 & 67/2023
DV



कार्यालय पुलिस

अधीक्षक

सोनभद्र।

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE DISTRICT SONEBHADRA

फैक्स नं०-05444-252673

रीयूजी नं०-9454400304

ई-मेल-spsbr-up.nic.in

पत्र संख्या- रिट विधि(NGT)/2025

दिनांक: अप्रैल 22, 2025

सेवा में,

प्रभागीय बनाधिकारी,

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या: 1040/2024 सुरेन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक: 18.03.2025 का अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक श्री सुशांत शर्मा, सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के पत्रांक-एन०जी०टी०-276/81-7-2025-1908784 दिनांक: 03.04.2025 के क्रम में अपने पत्र संख्या: 3414/10-1मीरजापुर दिनांक: 04.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वन क्षेत्र/नदी तल/धारा में अवैध खनन के सम्बन्ध में वन अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जिला खनन अधिकारियों और पुलिस को की गयी शिकायतों और उस पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सहित आवश्यक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक: 18.03.2025 के बिन्दु संख्या, 10, 11, तथा 13 पर सूचना जो पुलिस विभाग से सम्बन्धित है की सूचना निम्नवत है-

बिन्दु संख्या 10:- *In its reply Respondent No- 6 has claimed that complaints dated 28- 12-2023 and 01-05-2024 were made by respondent No-6 to the police regarding illegal mining by unknown persons.*

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डी०सी०आर०बी०, शिकायत प्रकोष्ठ, थाना-ओबरा, चोपन तथा थाना जुगैल से उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गयी तो प्रभारी निरीक्षक थाना जुगैल द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांकित: 21.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवेदक चन्द्रशेखर चौरसिया व अज्ञात ब्यक्तियों द्वारा उक्त तिथियों में की गयी शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। डी०सी०आर०बी०, शिकायत प्रकोष्ठ, थाना-ओबरा, चोपन तथा थाना जुगैल से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति संलग्नक संख्या 01 है।

बिन्दु संख्या 11:- *In the letter petition, the applicant has also claimed that no action was taken by the police on complaints regarding mining in the forest area.*

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि थाना जुगैल पर शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त प्रभारी निरीक्षक थाना जुगैल की रिपोर्ट दिनांकित: 21.04.2025 के अनुसार वन क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये निम्न कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत है-

(2)

- 1- दिनांक: 02.02.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर संख्या: UP 64 AH-1367 मय ट्राली अवैध बालू लोड को जी0डी0 न0- 29 दिनांक: 02.02.2024 को समय 10.05 बजे अन्तर्गत धारा-3/181, 192, 196, 207 एम0वी0 एक्ट में सीज कर खनन विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।
- 2- दिनांक: 05.02.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली अवैध बालू लोड चेचिस न0-T054004146JL इंजन संख्या: E-2811058 को अन्तर्गत धारा- 3/181, 192, 196, 207 एम0वी0 एक्ट में जी0डी0 न0-25 दिनांक: 05.02.2024 समय-11.15 बजे सीज कर दाखिल किया गया। खनन विभाग को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
- 3- दिनांक: 06.04.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर ट्राली बिना नम्बर अवैध बालू लोड चेचिस संख्या: MBNAACHAJAKMRM 08604 इंजन न0- RMM 2KBA0712 को अन्तर्गत धारा-3/181, 192, 196, 207 एम0वी0 एक्ट में जी0डी0 न0-21 दिनांक: 06.04.2024 समय-08.30 बजे सीज कर दाखिल किया गयां खनन विभाग को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
- 4- दिनांक: 08.06.2024 को 02 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली अवैध बालूलोड क्रमशः चेचिस न0- 920913122601 इंजन न0-ई-749732 तथा चेचिस न0- MZOSG 716877 SM इंजन न0-3100DL8313709350F3 को अन्तर्गत 3/181, 192, 196, 207 एम0वी0 एक्ट में जी0डी0 न0-11 दिनांक: 08.06.2024 समय-07.20 बजे सीज कर दाखिल कर सम्बन्धित विभागों को रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
- 5- दिनांक: 24.12.2024 को चोरी का अवैध बालू/मोरम लोड टीपर संख्या: यूपी 64 एटी 0883 सहित चालक कतवारु कोल पुत्र लालजीव कोल निवासी अगोरी खास,टोला बिजौरा, थाना जुगैल जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 119/2024 धारा-303(2), 317(2), 3(5) बी0एन0एस0, व उ0प्र0 उपखनिज (परिहार)नियमावली-2021 3(1), 58, 72(6) तथा खान एवं खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 तथा सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984 धारा-3 के अन्तर्गत विरुद्ध दो नामजद अभियुक्तगण कतवारु कोल उपरोक्त व रामसूरत यादव उर्फ छोटेई पुत्र लक्ष्मण यादव निवासीगण अगोरी खास टोला, बिजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र पंजीकृत किया गया। विवेचना में 03 और अभियुक्तगण 3-रामसूरत उर्फ लल्लू यादव, 4-मनोज यादव, पुत्रगण लक्ष्मण यादव, 5-राम प्रताप यादव पुत्र शिवमुनी यादव निवासीगण ग्राम -अगोरी खास, टोला बिजौरा, थाना जुगैल जनपद सोनभद्र का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया। बाद विवेचना आरोप प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त गण 1- कतवारु कोल, 2-रामसूरत यादव, 3-रामसूरत उर्फ लल्लू यादव, 4-मनोज यादव, 5-रामप्रताप यादव उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या: ए-28/2025 दिनांक: 17.04.2025 किता किया गया है। जो संलग्नक संख्या: 02 है।

बिन्दु संख्या 13:-*Superintendent of police, Sonbhadra is also directed to file his affidavit giving all requisite details as to action taken on complaints made by respondent no-6 to the police and specifically mentioning as to whether any F.I.R. was registered on the basis of complaints given by respondent no-6, if yes, what further action was taken on the same, if no, what were the reasons for not registering the F.I.R. Additional affidavit be filed by Superintendent of police, Sonbhadra within four weeks.*

(3)

बिन्दु संख्या: 13 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि थाना जुगैल पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के उपरान्त प्रभारी निरीक्षक थाना जुगैल जनपद सोनभद्र द्वारा वन क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये बिन्दु संख्या: 11 में वर्णित कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्त के अलावा जनपद सोनभद्र में आगमन के कुछ ही दिनों बाद अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जनपद सोनभद्र के वन क्षेत्र/नदी तल/धारा में अवैध खनन न होने पाये तथा उस पर सतर्क दृष्टि रखने एवं विशेष निगरानी के लिये दिनांक: 16.09.2024 तथा 04.12.2024 को जनपद के सभी अपर पुलिस अधीक्षक/समस्त क्षेत्राधिकारियों/प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों तथा प्रभारी यातायात/प्रभारी डायल-112 के लिये सख्त आदेश/निर्देश निर्गत किये गये थे। इसके अतिरिक्त सप्ताह में प्रत्येक बुद्धवार को गूगल मिट के माध्यम से उपरोक्त पर सतर्क दृष्टि रखने के लिये मेरे द्वारा निर्देशित किया जाता है। जब प्रतिवादी संख्या-06 द्वारा पुलिस में कोई शिकायत ही नहीं किया गया तो एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत किये गये आदेश दिनांकित: 16.09.2024, 04.12.2024 की प्रति संलग्नक संख्या: 03 है।

अतः वांछित सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक
सोनभद्र।

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
जनपद सोनभद्र।

कृपया आप अपने पत्र संख्या:-रिट विविध/2025 दिनांक 07.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो प्रार्थीगण सुरेन्द्र, बालमती, रामसुभग, हीरालाल तथा बच्चा यादव के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र जो मा० मुख्यमंत्री महोदय, उ०प्र० सरकार लखनऊ को सम्वोधित तथा अन्य 07 को पृष्ठांकित है जिसका संज्ञान लेते हुए मा० अध्यक्ष हरित अधिकारण (एन०जी०टी०) भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18.03.2025 को सुनवाई के उपरान्त विन्दु संख्या 10 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा दिनांक 28.12.2023 और 01.05.2024 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, उपरोक्त तिथियों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई लिखित/मौखिक शिकायत दी गयी हो तो शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी, उक्त सम्बन्ध में अपनी आख्या/सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि जरिये आर०टी०सेट जनपद के थाना नुंगवा को छोड़कर शेष अन्य थानों से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में कोई शिकायत पंजीकृत होना नहीं पाया गया।

रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

पत्र संख्या:डीसीआरबी-विविध/2025
दिनांक: अप्रैल 8, 2025

Bishnoi
8/4/2025
प्रभारी डीसीआरबी
सोनभद्र। प्रभारी
डी०सी०आर०बी०
सोनभद्र

रिपोर्ट कार्यालय शिकायत प्रकोष्ठ जनपद सोनभद्र

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद सोनभद्र।

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या-रिट विविध(NGT)/2025 दिनांक अप्रैल 10, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने कि कृपा करे जिसके माध्यम से दिनांक 28-12-2023 एवं 01-05-2024 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध मे पुलिस को शिकायत की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

उक्त के सम्बन्ध मे शिकायत प्रकोष्ठ मे प्रचलित रजिस्ट्रों के अवलोकन से उपरोक्त तिथियो मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


प्रभारी

शिकायत प्रकोष्ठ
जनपद सोनभद्र।

रिपोर्ट थाना ओबरा जनपद सोनभद्र

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद सोनभद्र

विषय:- पत्र संख्या रिट विविध/2025 दिनांक 7 अप्रैल, 2025 आवेदक प्रार्थीगण सुरेन्द्र बालमती हीरालाल तथा बच्चा यादव के द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र पर कार्यवाही न करने के के सम्बन्ध में जाँच आख्या:-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आप के पत्र संख्या -रिट विविध/2025 दिनांक 07.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जो आवेदकगण सुरेन्द्र बालमती, रामसुभग, हीरालाल तथा बच्चा यादव के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र जो मा0 मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार लखनऊ को सम्बोधित तथा अन्य 07 को पृष्ठांकित है जिसका संज्ञान लेते हुए मा0 अध्यक्ष हरित अधिकारण(एन0जी0टी0) भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18.03.2025 को सुनवाई के उपरान्त बिन्दु संख्या 10 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा दिनांक 28.12.2023 और 01.05.2024 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय से आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त तिथियों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई लिखित/मौखिक शिकायत थाना स्थानीय को प्राप्त नहीं हुई है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

21.4.25
प्रभारी निरीक्षक
थाना-ओबरा सोनभद्र



रिपोर्ट थाना चोपन जनपद सोनभद्र

सेवा में

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

जनपद- सोनभद्र

विषय- पत्र संख्या-रिट विविध/2025 दिनांक 07.04.2025 के सम्बन्ध में आख्या।
महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या-रिट विविध/2025 दिनांक 07.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदकगण सुरेन्द्र, बालमती, रामसुभग, हीरालाल तथा बच्चा यादव के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र जो मा0 मुख्यमंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार लखनऊ को सम्बोधित तथा अन्य 07 को पृष्ठांकित है जिसका संज्ञान लेते हुए मा0 अध्यक्ष हरित अधिकारण (एन0जी0टी0) भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18.03.2025 को सुनवाई के उपरान्त विन्दु संख्या 10 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा दिनांक 28.12.2023 और 01.05.2024 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय से आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त तिथियों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई लिखित/मौखिक शिकायत थाना स्थानीय को प्राप्त नहीं हुई है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

Y. H. S.
08/04/25
प्रभारी निरीक्षक
थाना-चोपन, सोनभद्र



रिपोर्ट थाना जुगैल जनपद सोनभद्रा

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक,
जनपद सोनभद्रा

महोदय,

निवेदन है कि कृपया अपने पत्रांक रिट विविध(NGT) /2025 दिनांक- 10.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा आवेदक चन्द्रशेखर चौरसिया द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के संबंध में की गयी शिकायत एवं तत्संबंध में कार्यवाही विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक चन्द्रशेखर चौरसिया द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी शिकायत के संबंध में कार्यवाही हेतु चिन्हीकरण एवं तलाश / चेकिंग के दौरान—

1-दिनांक- 02.02.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर संख्या UP 64 AH 1367 मय ट्राली अवैध बालू लोड को जी.डी. नं0 29 दिनांक- 02.02.2024 समय- 10.05 बजे अन्तर्गत धारा- 3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में सीज कर खनन विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

2-दिनांक- 05.02.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली अवैध बालू लोड चेचिस नम्बर- T054004146JL इंजन संख्या- E2611056 को अन्तर्गत धारा- 3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में जी.डी. नं0- 25 दि0- 05.02.2024 समय- 11.15 बजे सीज कर दाखिल किया गया खनन विभाग को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

3-दिनांक- 06.04.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर ट्राली बिना नम्बर अवैध बालू लोड चेचिस संख्या MBNABAJAKMRM08604 इंजन नम्बर- RMM2KBA0712 को अन्तर्गत धारा- 3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में जी.डी. नं- 21 दिनांक- 06.04.2024 समय- 08.30 बजे सीज कर दाखिल किया गया खनन विभाग को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

4-दिनांक- 08.06.2024 को 02 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली अवैध बालू लोड क्रमशः चेचिस नम्बर- 920913122601 इंजन नं0- E749732 तथा चेचिस नं0- MZ0SG716877SM इंजन नं0- 3100DL8313709350F3 को अन्तर्गत धारा- 3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में जी.डी. नं0- 11 दिनांक- 06.04.2024 समय- 07.20 बजे सीज कर दाखिल कर संबंधित विभागो को रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

5-दिनांक-24.12.2024 को चोरी का अवैध बालू / मोरम लोड टीपर संख्या- UP 64 AT 0883 सहित चालक कतवारू कोल पुत्र लालजीव कोल निवासी अगोरी खास टोला बिजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्रा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 119/2024 धारा- 303(2), 117(2), 3(5) बी.एन.एस. व 3(1),

(6) उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 व धारा- 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 तथा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 विरुद्ध दो नामजद अभियुक्तगण कतवारू कोल उपरोक्त व रामसूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण यादव निवासी गण अगोरी खास टोला बिजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र पंजीकृत किया गया विवेचना में 03 और अभियुक्तगण 3. राममूरत उर्फ लल्लू यादव 4. मनोज यादव पुत्रगण लक्ष्मण यादव 5. रामप्रताप यादव पुत्र शिवमुनी यादव निवासीगण ग्राम अगोरी खास टोला बिजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया बाद विवेचना आरोप प्रमाणित पाते हुए अभियुक्तगण 1. कतवारू कोल 2. रामसूरत यादव 3. राममूरत उर्फ लल्लू यादव 4. मनोज यादव 5. रामप्रताप यादव उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- ए- 28/2025 दिनांक- 17.04.2025 किता किया गया ।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

21/04/25
(प्रणय प्रसून श्रीवास्तव)

प्रभारी निरीक्षक

थाना जुगैल, सोनभद्र

(प्रणय प्रसून श्रीवास्तव)

प्रभारी निरीक्षक

थाना जुगैल, सोनभद्र



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): बुलंदशहर

District/Unit (जिला/इकाई): बुलंदशहर

1. G.D. No. (रोजनामचा नं.): 029

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 02/02/2024 10:05 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): अन्य तत्काल बाबत एक अटल ट्रेक्टर म

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि/अधिकारी के लिए): KUMUD SHEKHARSINGH

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): चोरी

6. Subject (विषय):

तत्काल बाबत एक अटल ट्रेक्टर मय टानी चीज अंतर्गत धारा 207 एम.वी. एक्ट

7. G.D. Brief

श्री प्रदीप कुमार बेबर सिंह मय हमारे हेतुका 0 दिनेश कुमार हेतुका 0 अरुण कुमार यादव मय वाहन सरकारी संख्या UP84G 0400 के खान्ना रफला ठेकावा लिये एक अटल ट्रेक्टर मय टानी चीज वाहन संख्या- UP64AH1387 मय टानी के उपस्थित थाना आया। विवरण कार्य सरकार इस प्रकार है कि थाना लाना से खाना होकर देबमाल क्षेत्र में मगमूर होते हुए चलि गस्त में मरहो लिये पहुंचा तो एक ट्रेक्टर संख्या UP 84 AH 1387 मय टानी, टानी पर बालू नटा है लेकर आ रही है जिसे रोक्कर चालक कमसकल पुत्र मनोजमाल बैस्वार निवासी रमडीहा थाना गठवा जिना सिगरेटी काय प्रदेव से गडी के कागजात तलब किया गया तो कोई भी कागजात नही दिबा रहा है न ही उसके पास कोई डी.एल. है और न ही इंश्योरन्स है जिसके कारण एक ट्रेक्टर को अंतर्गत धारा 3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में समय 01.30 बजे सीज किया गया। चालक को निजी पुलिसके पर छोड़ा गया। चूंकि ट्रेक्टर पर बालू नटी है जिसके लिए बनन विभाग को अलग से रिपोर्ट दी जा रही है। वाहन के सम्बन्ध में दाखिला सहजन कूट गया है। तत्काल दर्ज किया गया।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धाराएं):-

S.No.(क्र.सं.) Acts (अधिनियम)

Sections (धाराएं)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 20/04/2025

Report Printed by (लिख के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PRANAY PRASUN

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 07276014

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): जुगौल

District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 025

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 05/02/2024 11:15 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आगमन/वापसी

4. Entry for (Officer) (प्रविष्टि/अधिकारी के लिए): KUMUD BHEKHARSINGH

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

6. Subject (विषय):

वापसी प्र0नि0 व टाखिला एक अदद ट्रेक्टर मय टाली सीज अंतर्गत धारा 207 एम.वी. एक्ट

7. G.D. Brief

में प्र0नि0 कुमुद बेखर सिंह मय हे0का0 एकज कुमार शुक्ल व हे0का0 अशोक घोषरी के मय का0 घालक लय प्रताप सिंह मय सरकारी वाहन न0 यूपी 64 जी 0400 के रवानाशुदा रो0आम तारीखी डिरोजा से मय एक अदद ट्रेक्टर मय टाली फार्मटिक बिना नम्बर चेचिस न0 T05400414EJL इन्जन न0 E2611056 सीज शुदा के उपस्थित चाना हाजा आया। कार्य सरकार इस प्रकार है कि मैं प्र0नि0 मय हमराहियान मय वाहन सरकारी के थाना हाजा से दिनांक 04.02.2024 को बहवाले स्पट न0- 48 समय- 16.40 बजे रवाना होकर देबभाल क्षेत्र करते हुए थाना हाजा के फोर्स के साथ चल रहे अभियान वाहन बेकिय किया गया व बाद वाहन चेकिंग पैदल गस्त कस्बा जुगौल में किया गया व थाना हाजा की फोर्स को आवश्यक दिना निर्देश देकर माभूर क्षेत्र किया गया व रात्रि में रात्रि गस्त सेकिय किया गया व मंदिर मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थल, महत्व पूर्ण स्थानो आदि स्थानो पर घूमन शीत एकर लोगो को जानवापी मस्जिद के सम्बन्ध में जागरूक किया गया व माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश से अवगत करते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु हिदायत किया गया। व देबभाल क्षेत्र करता हुआ छितिकपुरवा मे मौजूद था आज दिनांक 05.02.24 को समय करीब 09.15 बजे वन टरोम अरविन्द सिंह कौशिक मिले तभी एक ट्रेक्टर अवैध बालू लदा हुआ आया जिसे हम लोगो ने रोका तो काफी तेज होकर भागा हम लोगो ने पिछा किये तो सेमिया गाँव मे आकर गाँव के रास्ते की तरफ आकर तभी आटे केवट पुत्र हाकिम केवट निवासी सेमिया थाना जुगौल सोनभद्र के घर के पास खिचड़ मे फसा दिया जिससे गाड़ी निकल नही रही थी तभी नेवारी के सुनील का जेसीबी मंगवाकर बालू उतरवाकर ट्रेक्टर को लकव उसी ट्रेक्टर पर पुनः बालू रखकर घालक मुनेश कोल पुत्र स्व0 मीरु कोल निवासी थाम सेमिया थाना जुगौल सोनभद्र से ट्रेक्टर का कागजात लकव किया गया तो कोई भी कागजात नही दिखा रहा है न ही उसके पास कोई डीएल है और नही कोई इन्सोरेन्स है जिसके कारण उक्त ट्रेक्टर को अन्तर्ग धारा 3/181, 39/192, 196, 207 एम.वी. एक्ट सीज किया गया। चालक को निजि मुचलिका पर रिहा किया गया ट्रेक्टर पर बालू लदा है जिसके खनन विभाग को अलग से रिपोर्ट दी जा रही है थाना हाजा के लिये इवाना हुआ। हे0म0 व संतरी प्रहरा को ट्रेक्टर दिखाना गया। हमराही कर्मचारी के साथ रवानाशुदा शक्त व कस्तूस अन्दर मालगूह रखवाकर ताला मालखाना का बंद ठीक संतरी को दिखाना गया। चार्जभार थाना वजिमे स्वयं लिया गया।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 20/04/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PRANAY PRASUN

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 07276014

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): जुगल

District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 021

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 06/04/2024 08:30 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आगमन

4. Entry for (Officer) (प्रतिदि (अधिकारी के लिए)): अवर निरीक्षक

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

6. Subject (विषय):

बापसी उ०नि० व दाखिला एक अदद ट्रैक्टर मय टाली सीज अंतर्गत धारा 207 एम.वी. एकट

7. G.D. Brief

मैं उ०नि० मनोच कुमार सिंह मय हमराह हे०का० ब्रवण कुमार यादव व हे०का० दिनेश कुमार के खानागुटा रो०आम तारीखी इमरेना से मय एक अदद ट्रैक्टर मय टाली महेन्दा 475DA बिना नम्बर सेविस नं० MBNABAJAKMRM08604 इंजन नं० RMM2KBA0712 सीज गुटा के अर्जित थाना लजा आया। कार्य सरकार इस प्रकार है कि मैं उ०नि० मय हमराहियान के थाना हाजा से खाना होकर देबभाल क्षेत्र करते हुए चीरा तिराहा पर वाह्य चेकिंग कर रहा था कि एक ट्रैक्टर अघेध बालू लदा हुआ आया जिसे हम लोगो ने रोका तो काफी तेज होकर भागा हम लोगो ने पिछा किये तो चीरा से दुबटिया के बीच में समय करीब 06.30 बजे पकड लिया गया घालक पप्पू केवट मुत्र रामदुष निवासी बहर्गावा थाना जुगल मनपद सोनपद से ट्रैक्टर का कमाजता तालबब किया गया तो कोई भी कागजात नहीं दिबा रहा है न ही उसके पास कोई डीएल है और नहीं कोई इन्सोरेन्स है जिसके कारण एक ट्रैक्टर को अन्तर्गत धारा 3/181, 39/192, 196, 207 एम.वी. एकट सीज किया गया। घालक को निजि मुचलिका पर रिहा किया गया तानानी रिपोर्ट पर घालक द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। ट्रैक्टर पर बालू लदा है जिसके सम्बन्ध में बनन विभाग, आर.टी.ओ. सेल टेक्स, वन विभाग को अलग से रिपोर्ट दी जा रही है हे०मु० व निगरानी कर्मचारी को ट्रैक्टर दिबाया गया।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 20/04/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PRANAY PRASUN

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 07276014

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): जुगल

District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 011

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 08/06/2024 07:20 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आगमन

4. Entry for (Officer) (प्रविष्टि (अधिकारी के लिए)): अवर निरीक्षक

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): पीड़

6. Subject (विषय):

7. G.D. Brief

बापसीउनि0 ब दाबिना 02 अदद ट्रेक्टर मय दानी सीज अंतर्गत धारा 207 एम.सी. एक्ट एक अदद लावारिस मोटर साईकिल
में उनि0 मनोज कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अनिल कुमार सिंह, हे0का0 अरुण कुमार यादव, हे0का0 राधेमोहन कुशवाहा के खानाघर
रो0अम तारीबी इमरोना से मय 02 अदद ट्रेक्टर मय दानी 1.आयसर 380 बिना नम्बर चेचिस नं0 920913122801 ईमन नं0 E748732
सोनालीक डी 734 बिना नम्बर ईमन नं0 3100DL8313709350F3 चेचिस नं0 MZDSG716877SM सीज शुदा के उपस्थित थाना हाना
आया। कार्य सरकार इस प्रकार है कि मैं उनि0 मय हमराहियान के थाना हाना से खाना होकर देबमान क्षेत्र करते हुए बेवन्धा प्रा0 विद्यालय के
सम्ने पेड़ पर वाहन चेकिंग कर रहा था कि समय करीब 05.30 बजे 02 ट्रेक्टर अवैध बालू लदा हुआ आया जिसे हम लोगो ने रोक व आयसर वाहन
इस्टेव पाण्डेय पुत्र विद्यादेव पाण्डेय नि0 ग्राम बन्दीनी थाना जुगल सोनभद्र व ट्रेक्टर सोनालीका के चालक शम्भू यादव पुत्र अमरनाथ यादव नि0
उप दूध गाव थाना जुगल अनपद सोनभद्र ट्रेक्टर का कागजात तालब किया तो कोई भी कागजात नहीं दिखाया न ही उसके पास कोई डीएन है और
नहीं कोई इन्सोरेन्स है जिसके कारण उक्त ट्रेक्टर को अन्तर्गत धारा 3/181, 39/192, 198, 207 एम.सी. एक्ट सीज किया गया। चालक को दिनि
मूचलिका पर रिया किया गया चालानी रिपोर्ट पर चालक द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। ट्रेक्टर पर बालू लदा है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित
को रिपोर्ट भेजित किया जा रहा है व बेवन्धा प्रा0 स्कूल के पास ही UP 68 J 4897 TVS CVTI जिसका चेचिस नम्बर- MF35A1E54515 व ईमन
नम्बर CF5EA1450057 लावारिस हालत में बड़ी मिली है जिसके वाहन स्वामी की आस पास तलाश किया गया आस पास के लोगो से भी वाहन के
वाहन स्वामी के बारे में पूछा गया तो कोई भी अपना वाहन होना नहीं बता रहे है वाहन को लावारिस पाते हुए थाना हाना पर नाकर बडी किया गया।
हे0न0 व निगमनी कर्मचारी को ट्रेक्टर व मो0सा0 दिखाया गया। शेष कुशलता रही।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 20/04/2025.

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PRANAY PRASUN

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 07276014

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र

P.S. (थाना): जुगैल

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0119

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 24/12/2024 15:40

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day मंगलवार
(दिन):

Date From 24/12/2024
(दिनांक से):

Date To 24/12/2024
(दिनांक तक):

Time Period पहर 5
(समय अवधि):

Time From 14:15 बजे
(समय से):

Time To 14:15
(समय तक): बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 24/12/2024 Time (समय): 15:40 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 026 Date & Time 24/12/2024 15:40 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. दक्षिण, .5 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address वहद ग्राम जुगैल
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): प्रणय प्रसून श्रीवास्तव

(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व० प्रेमानन्द श्रीवास्तव

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 17/04/1975

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना जुगैल ,जुगैल,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	चौफाला ,अहरौला,आजमगढ़,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9936900686

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	कतवारू कोल वाहन संख्या UP64AT 0883 का चालक		पिता का नाम : लालजीव	1. विजौरा ,जुगैल,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
2	राम सूरत यादव उर्फ छोटई		पिता का नाम : लक्ष्मण	1. विजौरा ,जुगैल,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

फर्ट बरामदगी एक अटद टीपर वाहन छः चक्का संख्या up64 AT 0883 पर बिना परमिट की लोड़ बालू / मोरम व गिरफ्तारी 01 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 303(2),317(2),3 (5) BNS एवं 3(1) ,58,72(6), उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधि0 1957 व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नि0 अधि0 1984 थाना जुगैल जनपद सोनभद्र , आज दिनांक 24.12.24 को मै प्रभारी निरीक्षक प्रणय प्रसून श्रीवास्तव मय हमराह HC श्रवण सिंह यादव HC राधेमोहन कुशवाहा मय जीप सरकारी सूमो गोल्ड नं0 UP64 G0400 मय चालक लव कुमार के क्षेत्र में खानाशुदा इमरोजा मामूर हो कर थाना गेट के बाहर भरहरी जुगैल मुख्य सड़क पर मौजूद था निरन्तर अभिसूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना क्षेत्र के विशेष कर विजौरा गांव कुछ मनबड़ जो पूर्व से अवैध खनन व बालू चोरी मे संलिप्त रहे है पुनः नदी से चोरी का बालू निकाल कर परिवहन व बिक्री कर रहे है । जिसमे दृष्टिगत खान निरीक्षक श्री मनोज कुमार को जरिये मोबाईल सूचित कर बुलाया गया जो थाना गेट पर समय 13.50 बजे आकर मिले मुखबिर तलब कर जानकरी मिली की बिजौरा के छोटई यादव का नीले रंग का टीपर बिना नम्बर प्लेट चोरी का बालू लोड़ कर हर्षाड़ाड की तरफ बन रही सड़क के लिए बेचने

/सप्लाई देने आ रहा है। शीघ्र पहुंचने वाला है जिस पर हम लोग आपस में जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान होने पर कि हमारे पास कोई आपत्ति जनक सामाग्री नहीं है। शीघ्रता कर भरहरी/हर्षाडाड की तरफ चले आशनाय राह से गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया परन्तु भलाई बुलाई के डर से कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ कि थाने से करीब 500 मीटर हर्षाडाड के तरफ पहले छलके के पास माकुल आड़ में वाहन खड़ी कर विजौरा/जुगौल की तरफ से आने वाले उक्त टीपर का इन्तेजार करने लगे समय करीब 14.10 बजे दूर से नीले रंग की टीपर आती दिखायी दी जिसे हिक्मत अमली से समय 14.15 बजे वही छलके के पास रोक कर साइड करवाया जिसके निरीक्षण से चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए बिना नम्बर टीपर पर लोड बालू को वैध प्रपत्र तलब किया गया तो चालक ने अपना नाम कतवारू कोल पुत्र लालजीव उम्र करीब 26 वर्ष R/O विजौरा थाना जुगौल जनपद सोनभद्र बताया तथा यह भी बताया तथा यह भी बताया कि साहब यह टीपर राम सूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण निवासी विजौरा की है जिसका वाहन संख्या UP64AT 0883. है इस पर लोड बालू बिजौरा में सोन नदी से चोरी से निकाल कर लोड किया गया है। इसका कोई कागज नहीं है और पुछ ताछ पर बता रहा है कि मैं छोटई यादव उपरोक्त के साथ मिलकर अक्सर चोरी से सोन नदी से बालू निकालता हूँ मैं चालक हूँ, तथा हम लोग क्षेत्र में मांग के अनुरूप सस्ते में बालू बेच देते हैं जिससे टीपर स्वामी छोटई यादव और मुझे अधिक लाभ मिलता है छोटई ने इसी लगातार बालू चोरी कर बिना परमिट के सस्ते में बेच कर अब तक बहुत लाभ कमाया है इसी कमाई से इसके घर परिवार में जेसीबी, बोलेरो, ट्रैक्टर तथा अन्य वाहन भी है जेसीबी से खुदाई कर चोरी से बालू लोड कर बेचता है टीपर में लदे बालू का खान निरीक्षक के द्वारा माप करने पर टीपर में कुछ 7.66 घन मीटर बालू लदा पाया गया वाहन टीपर के निरीक्षण से चेचिस नं० MB1GSGAC8GRYP6968 पाया गया। पहले कपडे की तलाशी ली तलाशी से चालक के पास अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी पकडे गये चालक अभि० कतवारू उपरोक्त का कार्य तथा टीपर में चोरी का बालू खनन कर लोड कर बेचने वाले टीपर मालिक राम सूरत @ छोटई यादव का यह कार्य राजस्व की चोरी कर उप खनिज प्रदार्थ बालू/ मोरम की चोरी कर उप खनिज का अवैध परिवहन कर लोग संपत्ति के नुकसानी से अच्छादित है जो धारा 303(2),317(2),3(5) BNS एवं 3(1),58,72(6), 30प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० 1957 व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसानी नि० अधि० 1984 का दण्डनीय अपराध है अतः अभि० कतवारू को उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत करा कर कारण गिरफ्तारी बता कर बकायदा बाजाफता हिरासत पुलिस लिया गया तथा लोड बालू मय वाहन कब्जा पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी जनता के कुछ राह गिर मौके पर रूक गये जिनसे गवाही हेतु नाम पता पुछा गया तो बिना नाम पता बताये मौके से चले गये सूचना गिरफ्तारी उचित माध्यम से अभि० के घर (परिजनो को) दी जा रही है। दौरान गिरफ्तारी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

व बरामदगी मा० सर्वोच्च न्याया० व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर इत्मीनान करा कर साथी सम्बन्धित के आलामात बनवाए जा रहे है। ह०प्र०नि० अग्रेजी अपठनीय 24/12/24 (प्रणय प्रसून श्रीवास्वत) ह० खान निरीक्षक अग्रेजी अपठनीय /24/12/24 (MI) ह० HC राधेमोहन, HC श्रवण, ह० कतवारू नोट- फर्द की नकल अभि० को दी गई। ह०अपठनीय प्र०नि० ह० कतवारू। नोट:- मै का०मु० सद्दाम हुसैन प्रमाणित करता हूँ कि फर्द की नकल मेरे द्वारा अक्षरशः अंकित किया गया है केवल तकनीक उपकरण के।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) MANOJ KUMAR Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): SINGH (पद):

No. 892051412 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.
(थाना):

District
(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PRANAY PRASUN
Rank I (Inspector)
No. 07276014

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:

(If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :

(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

2	पुरुष					
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट
(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)
IN THE COURT OF : सोनभद्र (के न्यायालय में)

1. District (जिला): सोनभद्र

P.S. (थाना): जुगौल

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0119

Year(वर्ष): 2024

Date(दिनांक): 24/12/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनांक): 17/04/2025

4. S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का	4
8	खान एवं खनिज (विकास का	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण	3

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred
(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet मूल
(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

N.C.R.D (पुन.री.आर.बी)
I.I.F.-V (पकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): RAM NARAYAN RAM
Rank (पद): I (Inspector) No. (सं.): 072760185

9. (a) (क) Name of complainant / Informant (शिकायतकर्ता/इतिहा देने वाले का नाम):
प्रणय प्रसून श्रीवास्तव

(b) (ख) Father's Name (पिता का नाम) : स्यो प्रेमचन्द श्रीवास्तव

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (In Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where rovered or solzed	Disposal

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No. (क्र.सं.): 1

(i) Name कतवारू कोल

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name (पिता का नाम): लालजीव

(iii) Date/ Year of blrth (जन्मतिथि/वर्ष): 1998

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	विजौरा , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	विजौरा , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name राम सूरत यादव उर्फ छोटई
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): लक्ष्मण

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2000

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	बिजौरा , जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	बिजौरा , जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (If known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on ball

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of ballers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): अदालत में भेजा

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name मनोज यादव

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): लक्ष्मण यादव

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2001

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम बिजौरा अगोरी खास , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम बिजौरा अगोरी खास , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत नॉच फॉर्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No.	Address Type	Address(पता)
(क्र.सं.)	(पता का प्रकार)	

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): अदालत में भेजा

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name रामप्रताप यादव

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): शिव मुनी यादव

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2000

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	अगौरी खास टोला विजौरा , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	अगौरी खास टोला विजौरा , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): अदालत में भेजा

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name राममूरत उर्फ लल्लू यादव

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): लक्ष्मण यादव

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2000

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम बिजौरा पोस्ट बड़गांव, अगोरी खास , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम बिजौरा पोस्ट बड़गांव, अगोरी खास , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): अदालत में भेजा

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)
(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

S. No (क्र. सं.)	Name (नाम)	Father's/Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	प्रणय प्रसून श्रीवास्तव	पिता: स्व० प्रेमानन्द श्रीवास्तव	17/04/1975		वर्तमान पता: थाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: चौफाला, अहरीला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता
2	का० सद्दाम हुसैन पीएनओ नं० 182691137	पिता: अब्दुल समद अंसारी			वर्तमान पता: थाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम सुधवै, ऊँज, भदोही, उत्तर प्रदेश, भारत	औपचारिक गवाह
3	हे०का० श्रवण सिंह यादव पीएनओ नं० 112520928	पिता: श्री जक्शन			वर्तमान पता: थाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम मडहुआ, कोतवाली, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	पुलिस साक्षी
4	हे०का० राधेमोहन कुशवाहा पीएनओ नं० 112690928	पिता: श्री छोटे लाल			वर्तमान पता: थाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम सौना अगेय, खानपुर, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	पुलिस साक्षी
5	हे०का० अब्दुल केशर्षी पीएनओ नं० 982410254	पिता: स्व० अब्दुल सत्तार			वर्तमान पता: थाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम बाटा, गहमर, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	पुलिस साक्षी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

6	सुबोध पाण्डेय	पिता: नन्दलाल पाण्डेय			वर्तमान पता: ग्राम मदाईन , जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम मदाईन , जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
7	शिवदास	पिता: धर्मू			वर्तमान पता: ग्राम मदाईन , जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम मदाईन , जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
8	श्री मनोज कुमार सिंह पीएनओ नं. 892051 412	पिता: श्री विजयबहादुर सिंह			वर्तमान पता: थाना जुगौल, जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: कुड़ियारी , शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी
9	प्र०नि० भैया शिव प्रसाद सिंह पीएनओ नं०- 890640 140	पिता: स्व० क्षी भैया सुरेन्द्रनाथसिंह			वर्तमान पता: थाना हाथीनाला,, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम पाली, कोतवाली, बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान् जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं 16 दिनांक 03.03.2025 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है आज मैं प्र०नि० /विवेचक मौका निकालकर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में लीन हुआ श्रीमान् जी निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त दिनांक 24.12.2024 को थाना जुगौल जनपद सोनभद्र पर नामित अभियुक्तगण चालक कतवारू कोल पुत्र लालजीव उम्र करीब 26 वर्ष R/O विजौरा थाना जुगौल जनपद सोनभद्र 2. राम सूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण निवासी विजौरा थाना जुगौल जनपद सोनभद्र उम्र करीब 25 वर्ष पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० श्री मनोज कुमार सिंह को सुपुर्द हुई जिनके द्वारा

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

विवेचना ग्रहण कर मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन से दिनांक 02.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से उप खनिज बालू / मोरम चोरी कर लोक सम्पत्ति नुकसान एव उसके परिवहन तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लोकेशन आदि की रेकी कर सुरक्षित पास करा कर पासर की भूमिका अदा कर सहयोग करने वाले के रूप में नामजद अभियुक्त गण के अतिरिक्त लल्लू यादव उर्फ राममूरत उम्र करीब 30 वा व मनोज यादव उम्र करीब 24 वर्ष पुत्रगण लक्ष्मण यादव निवासी गण ग्राम अगोरी खास टोला विजौरा थाना जुगैल सोनभद्र तथा राम प्रताप यादव उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र शिव मुनी यादव निवासी ग्राम अगोरी खास टोला विजौरा थाना जुगैल सोनभद्र का नाम प्रकाश में लाया गया है मुकदमा उपरोक्त के वादी प्रभारी निरीक्षक थाना जुगैल होने के कारण मुकदमा उपरोक्त की विवेचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र के आदेश के क्रम में दिनांक 11.01.2025 को मुझ प्रभारी निरीक्षक थाना हाथीनाला को सुपुर्द हुई विवेचना ग्रहण कर सम्पादित की गयी। श्रीमान जी अबतक की तमामी विवेचना बयान गवाहान व अन्य सम्पूर्ण संकलित साक्ष्य से नामित व प्रकाश में आये अभियुक्तगण क्रमशः 1. वाहन टीपर चेचिस नं0 MB1GSGAC8GRYP6968 का चालक कतवारू कोल पुत्र लालजीव उम्र करीब 26 वर्ष R/O विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र 2. राम सूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण निवासी विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र उम्र करीब 25 वर्ष, प्रकाश में आये अभियुक्तगण 3. राममूरत उर्फ लल्लू यादव उम्र करीब 30 वर्ष व 4. मनोज यादव उम्र करीब 24 वर्ष पुत्रगण लक्ष्मण यादव निवासीगण अगोरी खास टोल विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र, 5. रामप्रताप यादव उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र शिव मुनी यादव निवास अगोरी खास टोला विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र के विरुद्ध जुर्म धारा 303(2), 317(2), 3(5) BNS एवं 3(1), 58, 72(6), उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधि0 1957 व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नि0 अधि0 1984 का अपराध प्रमाणित हो रहा है। अतः प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण 1. वाहन टीपर चेचिस नं0 MB1GSGAC8GRYP6968 का चालक कतवारू कोल पुत्र लालजीव R/O विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र 2. राम सूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण निवासी विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र 3. राममूरत उर्फ लल्लू यादव व 4. मनोज यादव पुत्रगण लक्ष्मण यादव निवासीगण अगोरी खास टोला विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र, 5. रामप्रताप यादव पुत्र शिव मुनी यादव निवासी अगोरी खास टोल विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 28/25 दिनांक 17.04.2025 को मय समस्त साक्ष्य व किता केश डायरी के साथ मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। अतः मा0 न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत/गवाहान तलब कर विचारण करने की कृपा की जाए। विवेचना जरिये आरोप पत्र समाप्त की जाती है।

17. Refer Notice served नहीं
(जारी किए नोटिस):

Date(दिनांक):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on(प्रेषण की तिथि): 17/04/2025

19. No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):

20. List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं/चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क. Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

21ख. The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क. Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम, पता और आयु) :

22ख. Mafarur accused name, address and age / मफरर अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not. (माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क. Date (दिनांक) :

25ख. Place (स्थान) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

25ग.Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 07276014

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet

(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAM NARAYAN RAM

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 072760185

स्व-अवलोकन
अवैध खनन/परिवहन हेतु
विशेष निर्देश

- 1-अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/आपरेशन,
- 2-समस्त क्षेत्राधिकारी,
- 3-समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष,
- 4-प्रभारी यातायात/प्रभारी डायल-112

जनपद, सोनमद्र।

प्रायः जनपद के भिन्न थानों से अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, जबकि आप लोग अवगत हैं कि शासन स्तर से बार-बार अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, इसके बावजूद भी आप लोगों के जोन/सर्किल/थाना/चौकियों से अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें प्राप्त होना यह परिलक्षित करता है कि आप लोगों द्वारा इस ओर कोई विशेष रुचि नहीं ली जा रही है और न ही अवैध खनन/परिवहन करने वाले के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप लोगों का अपने सर्किल/थाना में अवैध खनन व परिवहन करने वाले अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो शासन सहित उच्चाधिकारीगणों के आदेशों/निर्देशों का घोर उल्लंघन है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ०प्र०, शासन के पत्र संख्या-50पी/छ-पु-3-2018-39पी/2017, दिनांक 16.03.2028 व पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: डीजी-आठ-94(निर्देश-2)2017 दिनांक: 14.06.2017 के माध्यम से प्रदेश में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु निम्नलिखित निर्देशों दिये गये हैं:-

- (1) स्थानीय पुलिस एवं डायल-यू०पी०-112 के पुलिस कर्मिकों द्वारा मिट्टी अथवा बालू के किसी अवैध खनन अथवा परिवहन की जाँच/चेकिंग स्वतः संज्ञान लेकर नहीं की जायेगी।
- (2) यू०पी०-112 के लखनऊ केन्द्र पर मिट्टी/बालू/मोरम के अवैध खनन अथवा परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर उसे संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को केन्द्र द्वारा अवगत कराया जायेगा, जो इस संबंध में खनन विभाग के शासनादेश संख्या-355(2)/86-2017-371/2005 दिनांक 17.04.2017 द्वारा गठित टास्क फोर्स के संज्ञान में लाते हुए इस पर प्रभावी जाँच/कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
- (3) थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष उसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को देंगे। उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी उक्त टास्क फोर्स के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
- (4) पुलिस सुरक्षा/यातायात प्रबंधन हेतु बनाये गये चेकिंग बैरियर पर पुलिस द्वारा चेकिंग करते समय उपरोक्त बिन्दु-(1) में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। किसी भी माध्यम से चेकिंग बैरियर पर अवैध बसूली की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी या उनसे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा सीधे कार्यवाही करते हुए इसकी रिपोर्ट तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी को दी जाये, जिससे संबंधित के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही की जा सके।
- (5) अन्य विभागों द्वारा बनाये गये चेकिंग बैरियर पर पुलिस केवल सुरक्षा के लिये तैनात रहेगी तथा उसके द्वारा उक्त विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की चेकिंग आदि नहीं की जायेगी। ऐसे बैरियरों पर यदि अवैध बसूली की शिकायत प्राप्त होती है तथा यदि वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा पूर्व से ही इस अवैध बसूली के संबंध में अपने क्षेत्राधिकारी व उपजिलाधिकारी को सूचना दे दी जाती है, तो उनको इसके लिए दोषी नहीं माना जायेगा, अन्यथा अवैध बसूली में वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों की भी संलिप्तता मानी जायेगी।

- (6) जनपद के खनन अधिकारियों द्वारा जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को उनके क्षेत्र में दिये गये खनन के पट्टों के स्थानों को, जो खनन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से चिन्हित किये गये हो, अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके उपरान्त यदि किसी थाना क्षेत्र में चिन्हित पट्टे के अतिरिक्त किसी अन्यत्र स्थान पर संगठित/वृहद खनन की सूचना प्राप्त होती है। और यदि इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी को सूचित नहीं किया गया है, तो उसमें संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की सल्लिप्तता मानी जायेगी।
- (7) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खान व खनिज अधिनियम 1957 यथा समय-समय पर संसोधित, जिसमें खनन गतिविधियों का नियमन, अवैध खनन की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण के उपाय किये जाने के निहित प्रावधानों का नियमानुसार अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
- (8) 30प्र0 खान खनिज परिहार निमयावली वर्ष-2021 में भी खनिज संसाधनों के प्रबन्धन, विनियमन, अवैध खनन रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण के विस्तृत प्रावधान, प्रदूषण नियंत्रण आदि से सम्बन्धित निहित प्रावधानों का नियमानुसार अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

2- अतः उक्त के सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का मली-मौति अवलोकन/परिशीलन कर निर्देशों का स्वयं व अपने अधीनस्थ नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराते हुए अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने-अपने जोन/सर्किल/थाना व चौकियों में होने वाले अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के दृष्टिगत राजस्व विभाग, खनन विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त टीम के माध्यम से थाना/चौकी पर होने वाले अवैध खनन/परिवहन की घटनाओं पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करकर अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें।

संख्या: वा10/पु0अ0-44/2024
दिनांक: सितम्बर 16, 2024

16/9/24
पुलिस अधीक्षक,
सोनमद्र।

स्व-अवलोकन
अवैध खनन/परिवहन हेतु
विशेष निर्देश

- 1-अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/आपरेशन,
- 2-समस्त क्षेत्राधिकारी,
- 3-समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष,
- 4-प्रभारी यातायात/प्रभारी डायल-112
जनपद, सोनभद्रा

प्रायः जनपद के भिन्न थानों से अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, जबकि आप लोग अवगत हैं कि शासन स्तर से बार-बार अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, इसके बावजूद भी आप लोगों के जोन/सर्किल/थाना/चौकियों से अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें प्राप्त होना यह परिलक्षित करता है कि आप लोगों द्वारा इस ओर कोई विशेष रुचि नहीं ली जा रही है और न ही अवैध खनन/परिवहन करने वाले के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप लोगों का अपने सर्किल/थाना में अवैध खनन व परिवहन करने वाले अपराधीगण पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो शासन सहित उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश का घोर उल्लंघन है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या-50पी/छ:-पु-3-2018-39पी/2017, दिनांक 16.03.2028 व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: डीजी-आठ-94(निर्देश-2)2017 दिनांक: 14.06.2017 के माध्यम से प्रदेश में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु निम्नलिखित निर्देशों दिये गये हैं:-

(1) स्थानीय पुलिस एवं डायल-यू0पी0-112 के पुलिस कर्मिकों द्वारा मिट्टी अथवा बालू के किसी अवैध खनन अथवा परिवहन की जाँच/चेकिंग स्वतः संज्ञान लेकर नहीं की जायेगी।

(2) यू0पी0-112 के लखनऊ केन्द्र पर मिट्टी/बालू/मोरम के अवैध खनन अथवा परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर उसे संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को केन्द्र द्वारा अवगत कराया जायेगा, जो इस संबंध में खनन विभाग के शासनादेश संख्या-355(2)/86-2017-371/2005 दिनांक 17.04.2017 द्वारा गठित टास्क फोर्स के संज्ञान में लाते हुए इस पर प्रभावी जाँच/कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(3) थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष उसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को देंगे। उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी उक्त टास्क फोर्स के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(4) पुलिस सुरक्षा/यातायात प्रबंधन हेतु बनाये गये चेकिंग बैरियर पर पुलिस द्वारा चेकिंग करते समय उपरोक्त द्विन्दु(1) में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। किसी भी माध्यम से चेकिंग बैरियर पर अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी या उनसे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा सीधे कार्यवाही करते हुए इसकी रिपोर्ट तत्काल गरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी को दी जाये, जिससे संबंधित के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

(5) अन्य विभागों द्वारा बनाये गये चेकिंग बैरियर पर पुलिस केवल सुरक्षा के लिये तैनात रहेगी तथा उसके द्वारा उक्त विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की चेकिंग आदि नहीं की जायेगी। ऐसे बैरियरों पर यदि अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होती है तथा यदि वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा पर्व से ही इस अवैध

वसूली के संबंध में अपने क्षेत्राधिकारी व उपजिलाधिकारी को सूचना दे दी जाती है, तो उनको इसके लिए दोषी नहीं माना जायेगा, अन्यथा अवैध वसूली में वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों की भी संलिप्तता मानी जायेगी।

(6) जनपद के खनन अधिकारियों द्वारा जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को उनके क्षेत्र में दिये गये खनन के पट्टों के स्थानों को, जो खनन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से चिन्हित किये गये हो, अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा इसके उपरान्त यदि किसी थाना क्षेत्र में चिन्हित पट्टे के अतिरिक्त किसी अन्यत्र स्थान पर संगठित/वृहद खनन की सूचना प्राप्त होती है और यदि इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी को सूचित नहीं किया गया है, तो उसमें संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की संलिप्तता मानी जायेगी।

2- अतः उक्त के सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का भली-भाँति अवलोकन/परिशीलन कर निर्देशों का स्वयं व अपने अधीनस्थ नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराते हुए अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने-अपने जोन/सर्किल/थाना व चौकियों में होने वाले अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के दृष्टिगत राजस्व विभाग, खनन विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त टीम के माध्यम से थाना/चौकी पर होने वाले अवैध खनन/परिवहन की घटनाओं पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराकर अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें।

संख्या: वा0/पु0अ0-44/2024

दिनांक: दिसम्बर 04, 2024

पुलिस अधीक्षक,
सोनभद्रा

कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र
पत्रांक 409/23-10, दिनांक, चुर्क, मार्च 02, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर

3/3/2024

शिविल अपील सं०-4005/2023 चन्द्रशेखर चौरीसिया बनाम भारत संघ व आदि कनेक्ट कर्मियों में मा० उच्चतम न्यायालय को गुमराह कर बालू खननकर्ताओं द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर खनिज विभाग के कुछ प्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में सोन नदी के राज्य सरकार व वन क्षेत्रों में लाखों घन मी० अवैध खनन/परिवहन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

परोक्त विषयक शिकायती पत्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर से सम्बन्धित शिकायती बिन्दुओं की जांच करके जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिए आप द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी दिनांक-29.02.2024 को क्षेत्रीय वन अधिकारी गुर्मा तथा इत्र के अन्य वन कर्मियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। जांच आख्या निम्नानुसार है-


1. चन्द्रशेखर चौरीसिया के पक्ष में जनपद-सोनभद्र के तहसील ओबरा के अन्तर्गत ग्राम अगोरीख स में आवंटित खनन पट्टा स्थल की जांच की गई। निरीक्षण के समय पोकलैण्ड अथवा अन्य मशीनों से अवैध खनन किए जाने का प्रमाण नहीं मिला। इसके अतिरिक्त उक्त खनन पट्टा धारक द्वारा आवंटित क्षेत्र-16.194 हे० के बाहर खनन किए जाने का प्रमाण भी नहीं मिला।

इसी प्रकार मे० वीरा कन्सल्टेशन के पक्ष में जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत तहसील ओबरा में भगवा में खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। निरीक्षण के समय यहां भी पोकलैण्ड अथवा अन्य भारी मशीनों से खनन किए जाने का प्रमाण नहीं मिला। पट्टा धारक द्वारा आवंटित खनन क्षेत्र-14.980 हे० के बाहर खनन किए जाने का प्रमाण नहीं मिला।

अतः उपरोक्तानुसार जांच आख्या सादर प्रेषित है।

TC
3/3/2024


भवदीय
(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक,
कैमूर वन्य जीव विहार,
चुर्क-सोनभद्र



Google

बरडिया, उत्तर प्रदेश, भारत
बरडिया, उत्तर प्रदेश 231205, भारत
Lat 24.52871°
Long 82.991639°
29/02/24 12:46 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र
पत्रांक 529 /10-1, दिनांक, चुर्क, दिसम्बर 06, 2024

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
भिर्जापुर

विषय- मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-1040/2024 में पारित आदेश दिनांक-30.09.2024 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- मुख्य वन संरक्षक महोदय, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर का मौखिक निर्देश।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित निर्देश के क्रम में प्रश्नगत खनन स्थल सम्बन्धी पैमाइश रिपोर्ट आदर्श सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार,
चुर्क-सोनभद्र

पत्रांक 529 /10-1, समदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक महोदय, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को सादर सूचनार्थ।

(अरविन्द कुमार)

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार,
चुर्क-सोनभद्र

१२

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

विषय- मा० एन०जी०टी, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-1040/2024 में पारित आदेश दिनांक- 30.09.2024 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय में मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव परिचयनी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर के निर्देशानुसार ग्राम-अगोरी खास के आ०सं०-824 ख में परीयुक्त बालू खनन पट्टा के सागने कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के नियंत्रणाधीन ग्राम करगरा के नदी वन क्षेत्र आ०सं०-1गि० में वन सीमा के निर्धारण/चिन्हांकन एवं वन सीमा से 100 मी० के बाहर के क्षेत्र के सीमांकन के लिए दिनांक-04.12.2024 को वन विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन किया गया, जिसकी आख्या निम्नानुसार है-

खण्ड-1, रकबा-16.194 हे० से सम्बन्धित सीमांकन रिपोर्ट-

बिन्दु-1. ग्राम करगरा के आ०सं०-1430 नाला व आ०सं०-671 कास्त भूमि का मेड़ा सर्वेक्षण हेतु आधार बिन्दु कायम किया गया, जिसकी जी०पी०एस० रीडिंग निम्न है-

N 24°33'48.31" E 82°57'42.18"

बिन्दु-2. उक्त बिन्दु के सामने करगरा नदी वन क्षेत्र का भाग (चौड़ाई) लगभग-342 मी० है, जो नदी वन क्षेत्र की वाह्य सीमा है जिसकी जी०पी०एस० रीडिंग N 24°33'45.74" E 82°57'30.40" है।

बिन्दु-3. नदी वन सीमा से 100 मी० बाहर ग्राम अगोरी खास में खनन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र (100 मी० की सीमा परिधि) चिन्हित किया गया जिसका जी०पी०एस० रीडिंग N 24°33'45.12" E 82°57'26.75" है। उपर्युक्त बिन्दु खण्ड-1 के लगभग मध्य भाग के सामने पड़ रहा है।

मौके के निरीक्षण में नदी वन सीमा के अन्दर तथा नदी वन सीमा से 100 मी० दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं पाया गया।

खण्ड-3, रकबा-16.194 हे० से सम्बन्धित सीमांकन रिपोर्ट-

1- ग्राम करगरा के आ०सं०-1485, 1503 व 1502/2 कास्त भूमि का नपत कर तिमोड़ा कायम किया गया। उक्त तिमोड़ा से 120 मी० पूरब दिशा आ०सं०-1502/2 व 1503 के मेड़ा से 24 मी० दक्षिण आ०सं०-1502/2 के मेड़ा पर बिन्दु कायम किया गया जिसकी जी०पी०एस० रीडिंग-N 24°33'21.69" E 82°57'57.49" है। यही बिन्दु सर्वेक्षण हेतु आधार बिन्दु माना गया।

2- उक्त बिन्दु से करगरा नदी वन क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 422 मी० है जिसकी जी०पी०एस० रीडिंग N 24°33'16.87" E- 82°57'43.39" है। कैमूर वन्य जीव प्रभाग के नियंत्रणाधीन नदी वन सीमा पर यह बिन्दु स्थित है।

3- उक्त वन सीमा से 100 मी० आगे/बाहर ग्राम अगोरी में खनन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र नपत कर चिन्हित किया गया जिसकी जी०पी०एस० रीडिंग N 24°33'15.95" E 82°57'39.82" है।

4- वर्तमान में इस खण्ड में खनन कार्य बन्द है एवं किसी तरह का अवैध खनन नहीं पाया गया।

संलग्नक-खण्ड-1 व खण्ड-3 का नजरी नक्शा।

<p><u>वन विभाग</u></p> <p>1- (अधीनस्थ अधिकारी)</p> <p>2- (अधीनस्थ अधिकारी)</p> <p>3- (अधीनस्थ अधिकारी)</p>	<p>4- (अधीनस्थ अधिकारी)</p> <p>5- (अधीनस्थ अधिकारी)</p>	<p><u>राजस्व विभाग</u></p> <p>6- (अधीनस्थ अधिकारी)</p> <p>7- (अधीनस्थ अधिकारी)</p> <p>8- (अधीनस्थ अधिकारी)</p>	<p><u>खनन विभाग</u></p> <p>9- (अधीनस्थ अधिकारी)</p>
--	---	--	---

नोटिस / सूचना

कन - विभाग उत्तर प्रदेश

सेवा में

अभियुक्त/व्यक्ति का नाम वन्देशम्वर चौरसिया S/O स्व दीन दयाल चौरसिया

सं. नं. 9 P पुराभा 303 विला अंशुल जमलि गेट निम्न सिजनस कॉलेज ग्रामला हिल्स

हाल पता वाल्म्यकन पहाड़ी चारक ग्राम अजोरी ब्लाक मधुपुर

पहसिल बोखारी तालुका दोनाम

आप को कपस्थि नोटिस इतिया की जाती है कि आप के विरुद्ध निम्न अपराध दर्ज हुआ है:-

R.C.N. 29/गुर्मा/2024-25

भारतीय कन अधिनियम 1927 की धारा 5/26, 41, 42

अतः आप दिनांक 25-4-2025 समय 11:00 A.M मुकाम रेजा कर्मालय गुर्मा

स्थित चौपन

पर हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध वाद न्यायालयमें दाखिल कर दिया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है ।

प्राप्त अधिकारी

प्रदीप कुमार पाल

कन दफ्तारा

गुर्मा रेजा

18-4-2025

कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र

पत्रांक J066/10-1(NGT), दिनांक, चुर्क, अप्रैल 12, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधानपीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-1040/2024 श्री सुरेन्द्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.03.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-3449/10-1, दिनांक, मिर्जापुर, अप्रैल 10, 2025

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी आज दिनांक-12.04.2025 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुर्मा रेंज के अन्य कार्मिकों के साथ खनन क्षेत्र का दौरा/निरीक्षण किया। निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है-

1- खण्ड-1, रकबा-16.194 हे0 के सामने कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के नियंत्रणाधीन नदी वन क्षेत्र का भाग लगभग 342 मी0 है। मौके के निरीक्षण में नदी वन सीमा के अन्दर तथा नदी वन सीमा से 100 मी0 दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं पाया गया।


2- खण्ड-3 रकबा-16.194 हे0 के सामने कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के नियंत्रणाधीन नदी वन क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 422 मी0 है। इस खण्ड में खनन कार्य बन्द है। नदी वन क्षेत्र से 100 मी0 दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं पाया गया।

संलग्नक- मौके के जी0पी0एस0 सहित फोटोग्राफ्स।

भवदीय


(अवधेश कुमार सिंह)
वन दरोगा
अनुभाग अधिकारी
गुर्मा रेंज



(पवन कुमार सचान)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
गुर्मा रेंज


(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
चुर्क-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन कर्मियों द्वारा गुरमा रेंज अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों की गश्ती एवं सतत निगरानी करते हुए फोटो







Schedule 'C'

Receipt Form

वन्य जीव प्रतिपालक 7761
कैमूर वन्य जीव विहार
Book No.

Receipt No: **65**

..... Forest department Wild Life Circle Western Zone U.P.

..... Forest Division 201

Received From.....

Sum of Rupees.....

Account of.....

Dated 06-4-2023

U.P. Forest Department Wild life Circle Kanpur (2010-11)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
गुर्मा रेंज-सोनभद्र

Scanned with OKEN Scanner

Schedule 'C'

Receipt Form

वन्य जीव प्रतिपालक 7761
कैमूर वन्य जीव विहार
Book No.

Receipt No: **66**

..... Forest department Wild Life Circle Western Zone U.P.

..... Forest Division 201

Received From.....

The Sum of Rupees.....

In Account of.....

Dated 06/04/2023

U.P. Forest Department Wild life Circle Kanpur (2010-11)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
गुर्मा रेंज-सोनभद्र

Scanned with OKEN Scanner

Schedule 'C'
Receipt Form

85

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव बिहार 7761
Book No.

Scanned with OKEN Scanner

Receipt No.

.....Forest department Wild Life Circle Western Zone U.P.

.....Forest Division201.....

Received From.....

The Sum of Rupees.....

On Account of.....

Dated 16-12-2023

U.P. Forest Department Wild life Circle Kanpur (2010-11)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैमूर वन्य जीव बिहार
गुर्मा-रेंज सोनभद्र

Schedule 'C'
Receipt Form

86

वन्य जीव प्रतिपालक 7761
कैमूर वन्य जीव बिहार
Book No.

Receipt No.

.....Forest department Wild Life Circle Western Zone U.P.

.....Forest Division201.....

Received From.....

The Sum of Rupees.....

On Account of.....

Dated 13/12/2023

(U.P. Forest Department Wild life Circle Kanpur (2010-11))

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैमूर वन्य जीव बिहार
गुर्मा रेंज-सोनभद्र

Scanned with OKEN Scanner

93

Schedule 'C'

Receipt Form

कन्य जीव प्रतिपालक 7761
कैमूर वन्य जीव बिहार
चुक-सोनभद्र
Book No.

Receipt No.

.....Forest department Wild Life Circle Western Zone U.P.

.....Forest Division 201-2011

Received From..... रेंज केवा सी-21/चुक/2003-04 (वन्य जीव प्रतिपालक)

The Sum of Rupees..... 25000.00 (पच्चास हजार रुपये मात्र)

In Account of..... सतिकर की बचत खाता

Dated 11-01-2004

U.P. Forest Department Wild life Circle Kanpur (2010-11)

क्षेत्रीय वन्य जीव अधिकारी
Forest Officer
कैमूर वन्य जीव बिहार
गुर्मा रेंज-सोनभद्र

Scanned with OKEN Scanner

04

Schedule 'C'

Receipt Form

कन्य जीव प्रतिपालक 2571
कैमूर वन्य जीव बिहार
चुक-सोनभद्र
Book No.

.....Forest department Wild Life Circle Western Zone U.P.

.....Forest Division 201-2011

Received From..... रेंज केवा सी-21/चुक/2003-04 (वन्य जीव प्रतिपालक)

The Sum of Rupees..... 27000.00 (सत्तर हजार रुपये मात्र)

In Account of..... सतिकर

Dated 26-08-2004

Forest Department Wild life Circle Kanpur (2010-11)

क्षेत्रीय वन्य जीव अधिकारी
Forest Officer
कैमूर वन्य जीव बिहार
गुर्मा-रेंज सोनभद्र

Scanned with OKEN Scanner

पुनर्विक्रयकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग सिर्कापुर के पत्रांक- 2703/10-1 दिनांक 28/03/2024

Schedule 'C'

2571

Receipt Form वन्य जीव प्रतिपालक

Receipt No. 09 कैमूर वन्य जीव बिहार Book No. चुके-सोनभद्र

Forest department Wild Life Circle Western Zone U.P.

Forest Division 201

Received From 10000000 (रुपये)

Sum of Rupees 1100000

Account of 06-3-2024

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैमूर वन्य जीव बिहार
Forest Officer
गुप्तो-रज सोनभद्र

P. Forest Department Wild life Circle Kanpur (2010-11)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पुनर्विक्रयकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग सिर्कापुर के पत्रांक- 2845/10 दिनांक 05-3-2024

Schedule 'C'

2571

Receipt Form वन्य जीव प्रतिपालक

Receipt No. 10 कैमूर वन्य जीव बिहार Book No. चुके-सोनभद्र

Forest department Wild Life Circle Western Zone U.P.

Forest Division 201

Received From 10000000 (रुपये)

Sum of Rupees 1100000

Account of 07-3-2024

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैमूर वन्य जीव बिहार
Forest Officer
गुप्तो-रज सोनभद्र

P. Forest Department Wild life Circle Kanpur (2010-11)

Scanned with OKEN Scanner